

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2016 की प्रतिवेदन सं. 4

विषय सूची		
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-ix
अध्याय - 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	2
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.2	2
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
सरकार के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियां	1.5	4
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	12
परिसम्पत्तियां व देयताएं	1.9	14
ऋण प्रबंधन	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	16
निष्कर्ष	1.12	19
सिफारिशें	1.13	20
अध्याय-2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	21
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	21
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	22
व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियां	2.4	27
अनुदान सं. 6- शिक्षा के पुनरीक्षण के निष्कर्ष	2.5	27
निष्कर्ष	2.6	29
सिफारिशें	2.7	29

अध्याय-3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	31
निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	32
दुर्बिनियोजन, हानियां तथा गबन	3.3	33
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	33
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	33
उचंत शेष	3.6	34
मुख्य शीर्ष-7610- सरकारी सेवकों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष	3.7	35
लेखों का गलत वर्गीकरण	3.8	36
निष्कर्ष	3.9	36
सिफारिशें	3.10	37

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	39
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	40
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े	42
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	45
1.5	वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	46
2.1	वर्ष 2015-16 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	50
2.2	₹ 10 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची	51
2.3	विभिन्न अनुदान / विनियोजन जहां संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	54
2.4	निधियों का अधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)	57
2.5	वास्तविक प्रावधानों के ₹ एक करोड़ और 60 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण	62
2.6	विभिन्न अनुदान / विनियोग जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी	65
2.7	₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं हुआ का विवरण	65
2.8	अवास्तविक बजटीकरण जहां सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस तथा एस सी एस पी के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा	66
2.9	वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह	68
2.10	बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई तथा समाप्त हो गई	70
2.11	अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत	71
3.1	निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी	73

प्राककथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच के उपरांत सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान 'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय 3 विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों की लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्ड तथा सरकारी कंपनियों एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पांच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष के मुख्य राजकोषीय योग संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 5,414.26 करोड़ (18.30 प्रतिशत) से बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व ₹ 3,621.26 करोड़ (13.61 प्रतिशत) से बढ़ गये। जबकि गैर-राजस्व ₹ 117.14 करोड़ (18.52 प्रतिशत) से घट गया तथा भारत सरकार से अनुदान ₹ 1,910.15 करोड़ (81.35 प्रतिशत) से बढ़ गये। 2015-16 में राज्य के अपने कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 86.36 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 26,342.55 करोड़ का राजस्व व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ₹ 2,833.06 करोड़ (12.05 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 84.80 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 319.53 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 15.20 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

सरकार ने 31 मार्च 2016 तक ₹ 18,492.15 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था। इन निवेशों पर लाभ 0.07 प्रतिशत था जबकि 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत 8.54 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

रा.रा.क्षे.दि.स. की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2011-12 के ₹ 29,608.29 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ (12.48 प्रतिशत) हो गई। 2015-16 के अंत में राजकोषीय देयतायें राजस्व प्राप्तियों का 0.95 गुणा तथा रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों का 1.08 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,581.20 करोड़ बढ़ गया था। 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,331.92 करोड़ हो गया था। 2014-15 में ₹ 2,992.83 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया था।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2015-16 के दौरान, ₹ 42,809.39 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 35,434.86 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,374.53 करोड़ की बचत हुई। ₹ 7,374.53 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 4,496.92 करोड़ की बचत और पूँजीगत क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 2,877.61 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

2006-07 से 2014-15 के अनुदानों के संबंध में ₹ 83.50 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के लिए दो अनुदानों में ₹ 2.22 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 2.3.1 तथा 2.3.2)

वर्ष 2015-16 के विनियोजन लेखे दिखाते हैं कि सात अनुदानों से संबंधित 30 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, जिनका कुल योग ₹ 1,504.36 करोड़ था।

(पैरा 2.3.4)

एक उपशीर्ष में ₹ 278.39 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान से कम था।

(पैरा 2.3.7)

10 अनुदानों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें) के अंतर्गत ₹ 5,176.08 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,222.26 करोड़ (बचतों की राशि का 42.93 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.10)

2013-14 से 2015-16 के दौरान अनुदान सं. 6-शिक्षा- के अंतर्गत 13 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 2,684.57 करोड़ की बचतों में से ₹ 924.20 करोड़ तक की राशि (बचतों का 34.43 प्रतिशत) मार्च 2016 तक अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इस अनुदान के अंतर्गत 36 उप-शीर्षों में संपूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा अप्रयुक्त पड़ीं रहीं।

(पैरा 2.5)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2015 तक दिए गए ₹ 24,242.35 करोड़ की राशि के कुल 4,287 अनुदानों में से, मार्च 2016 के अंत तक ₹ 18,908.72 करोड़ के 3,821 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 3,821 उ.प्र. में से ₹ 14,230.71 करोड़ के 2,571 उ.प्र. (67.29 प्रतिशत) दो से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 4,678.01 करोड़ के 1,250 उ.प्र. (32.71 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2014-15 तक पांच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 10 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2016 तक ₹ 207.80 करोड़ की बड़ी राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका समाशोधन तथा वर्गीकरण लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)

अध्याय-१

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय 2015-2016 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। संघ सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: जैसे (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं जैसे(क) समेकित निधि तथा (ख) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं हैं। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को संघ सरकार के रोकड़ में विलय किया गया है जो कि सामान्य रोकड़ के शेष का भाग बनता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्निहित नहीं हैं तथा इसे संघीय करां व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। रा.रा.क्षे. का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2015-16 में ₹ 5,58,745.26 करोड़ था। इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. वृद्धि (15.75 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर पर (17.04 प्रतिशत) बढ़ा है (**परिशिष्ट 1.1**)। भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की चालू मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.1: स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	35.81	13.93	14.25	10.67	13.00

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय रा.रा.क्षे.टि.स. तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियां तथा व्यय राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत प्रस्तुत की गई हैं (परिशिष्ट 1.2)।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण				
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16		
खण्ड-अ राजस्व	कुल	कुल	खण्ड-अ राजस्व	कुल	गैर योजनागत	योजनागत	कुल
राजस्व प्राप्तियां	29,584.59	34,998.85	राजस्व व्यय	23,509.49	17,963.23	8,379.32	26,342.55
कर राजस्व	26,603.90	30,225.16	सामान्य सेवाएं	5,983.40	5,974.05	453.07	6,427.12
गैर-कर राजस्व	632.54	515.40	सामाजिक सेवाएं	13,306.11	7,374.67	7,443.16	14,817.83
			आर्थिक सेवाएं	3,318.99	3,655.62	483.09	4,138.71
भारत सरकार से अनुदान	2,348.14	4,258.29	सहायता अनुदान तथा अंशदान	900.99	958.89	-	958.89
खण्ड-ब पूंजीगत			खण्ड-ब पूंजीगत				
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	पूंजीगत व्यय	4,403.94	11.04	4,712.43	4,723.47
ऋण व अग्रिमों की वसूलियां	227.61	83.41	संवितरित ऋण व अग्रिम	1,679.94	-	-	2,684.32
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	1,764.32	2,241.13	सार्वजनिक ऋण का पुनर्गतान*	1,346.73	-	-	1,435.18
आकस्मिक निधि	0.00	10.00	आकस्मिक निधि से विनियोजन	0.00	-	-	10.00
आरंभिक नकद शेष \$	880.65	1,517.07	अंतिम नकद शेष \$	1,517.07	-	-	3,654.94
कुल	32,457.17	38,850.46		32,457.17			38,850.46

* भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्बलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रूप में हैं।

\$ नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।


(चोत: वर्ष 2015-16 की दिल्ली के वित्त लेखे तथा प्र. लेखा कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,414.26 करोड़ (18.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 3,621.26 करोड़ (13.61 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में ₹ 1,910.15 करोड़ (81.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में ₹ 117.14 करोड़ (18.52 प्रतिशत) की कमी हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 2,833.06 करोड़ (12.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 319.53 करोड़ (7.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियां ₹ 144.20 करोड़ (63.35 प्रतिशत) से घटी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 1,004.38 करोड़ (59.79 प्रतिशत) बढ़ा।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ₹ 476.81 करोड़ (27.03 प्रतिशत) से बढ़ी तथा पुनर्भुगतान में ₹ 88.45 करोड़ (6.57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2015-16 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 2,137.87 करोड़ (140.92 प्रतिशत) से बढ़ा।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अंतर्गत बजटीय व वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।




जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, विभिन्न प्रमुख पैरामीटरों के मामले में अनुमान व वास्तविकता में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय आधिक्य ₹ 1,332 करोड़ अनुमानित राजकोषीय घाटे

की तुलना में ₹ 1,522 करोड़ था तथा प्राथमिक आधिकाय अनुमानित ₹ 4,750 करोड़ की तुलना में ₹ 4,142 करोड़ था।

1.4 सरकार के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार रा.रा.क्षे. के संसाधन



राजस्व व पूंजी प्राप्तियों के दो प्रकार हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां, ऋण प्राप्तियां तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएं आती हैं। **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियां एवं संवितरण जैसा कि दिल्ली के वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2011-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दर्शाता है।



रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 2011-12 के 96.00 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 93.75 प्रतिशत थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां व संरचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई हैं तथा क्रमशः **चार्ट 1.3** व **1.4** में भी दर्शाई गई हैं।



कुल राजस्व प्राप्तियों से रा.रा.क्षे. के अपने कर राजस्व का अंश 2011-12 में 89.19 प्रतिशत से 2013-14 में 92.63 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा इसके पश्चात 2015-16 में 86.36 प्रतिशत तक धीरे-धीरे घट गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का अंश 2011-12 में 2.06 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.47 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान का अंश 2011-12 के 8.76 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 5.01 प्रतिशत हो गया फिर 2015-16 में 12.17 प्रतिशत तक बढ़ गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (रक्षण में)	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)10.51	14.15	9.47	5.73	18.30
रा.प्रा. / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	6.52	6.54	6.26	5.98	6.26
उत्प्लावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	-0.29	1.02	0.66	0.54	1.41
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्प्लावकता	0.59	1.24	0.74	0.25	1.05

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेख)

राजस्व प्राप्तियों में 2011-16 की अवधि में वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति दर्ज की गई। 2015-16 में पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 18.30 प्रतिशत थी जबकि स.रा.घ.उ. में वृद्धि 13 प्रतिशत थी (**परिशिष्ट 1.4**)। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. की कर उत्प्लावकता पिछले वित्तीय वर्ष 0.25 प्रतिशत से बढ़कर 1.05 प्रतिशत हो गई।


2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. की कर राजस्व उत्प्लावकता 0.59 प्रतिशत थी जो कि 2012-13 में बढ़ कर 1.24 प्रतिशत हो गई तथा 2014-15 के दौरान यह घटकर 0.25 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, स्थिति 2015-16 में परिवर्तित हो गई तथा कर राजस्व उत्प्लावकता 1.05 प्रतिशत तक बढ़ गई।

1.5.1 रा.रा.क्षे. के अपने संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों में 2011-16 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष से 18.30 प्रतिशत तक बढ़ गयी।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक **चार्ट 1.5** में दिए गए हैं:



खोल: 2014-15 एवं 2015-16 के वित्त लेखे

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 30,225.16 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 26,603.90 करोड़) की तुलना में ₹ 3,621.26 करोड़ (13.61 प्रतिशत) से बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 66.98 प्रतिशत का योगदान था तथा पिछले वर्ष से यह 10.70 प्रतिशत बढ़ा।

राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वसूली पिछले वर्ष से 2015-16 के दौरान ₹ 815.30 करोड़ (28.82 प्रतिशत) बढ़ा जबकि स्टॉम्प ड्यूटी ₹ 653.72 करोड़ (23.52 प्रतिशत) बढ़ी। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों (भूमि राजस्व सहित) का अंशदान क्रमशः ₹ 48.18 करोड़ (3.09 प्रतिशत) व ₹ 147.55 करोड़ (26.66 प्रतिशत) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2015-16 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.47 प्रतिशत था, पिछले वर्ष से ₹ 117.14 करोड़ (18.52 प्रतिशत) कम हो गया।

1.5.2 वसूली की लागत

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्ति की सकल वसूली, वसूली पर किया गया व्यय तथा सकल वसूली से ऐसे व्यय की प्रतिशतता को नीचे तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: वसूली की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2013-14	17925.71	72.56	0.40
	2014-15	18289.31	49.26	0.27
	2015-16	20245.82	56.16	0.28
राज्य उत्पाद शुल्क	2013-14	3151.63	13.01	0.41
	2014-15	3422.39	5.29	0.15
	2015-16	4237.69	6.02	0.14
वाहनों पर कर	2013-14	1409.28	33.63	2.38
	2014-15	1558.83	31.49	2.02
	2015-16	1607.01	38.47	2.39

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2015-16 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा वाहनों पर कर वसूली पर व्यय की प्रतिशतता में पिछले वर्ष से आंशिक वृद्धि हुई जबकि राज्य उत्पाद शुल्क वसूली में व्यय में आंशिक रूप से कमी हुई।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग


1.6.1 व्यय की वृद्धि व संघटक

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने, सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की वर्तमान पूर्ति करने, पूंजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवा की देयताओं के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। रा.रा.क्षे. का कुल व्यय 2011-12 में ₹ 25,314.55 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,750.34 करोड़ हो गया।


चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 33,750.34 करोड़ पिछले वर्ष से ₹ 4,156.97 करोड़ (14.05 प्रतिशत) बढ़ा। कुल वृद्धि में से, राजस्व व्यय ₹ 2,833.06 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹ 319.53 करोड़ तथा ऋण एवं भुगतान ₹ 1,004.38 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान व्यय में कुल वृद्धि की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में आंशिक वृद्धि राज्य द्वारा निधियों के कम उत्पादक विनियोजन का सूचक है। पिछले पांच सालों में राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 17,964.86 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 26,342.55 करोड़ हो गया जो 46.63 प्रतिशत की वृद्धि थी। पूंजीगत व्यय जो 2011-12 में ₹ 4,004.27 करोड़ था इस अवधि में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया।


पूंजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2011-12 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमशः 18.23 प्रतिशत तथा 81.77 प्रतिशत थे जबकि 2015-16 में ये क्रमशः 15.20 प्रतिशत व 84.80 प्रतिशत थे। योजनागत शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय 2014-15 में ₹ 12,345.42 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 746.34 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 13,091.76 करोड़ हो

गया जबकि गैर-योजनागत व्यय ₹ 2,406.26 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 2014-15 में ₹ 15,568.01 करोड़ से 2015-16 में ₹ 17,974.27 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय में योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 42.14 प्रतिशत तथा 57.86 प्रतिशत था (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर)। **चार्ट 1.6** 2011-16 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करता है।



'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संयोजन को क्रमशः **चार्ट 1.7** एवं **1.8** में दिखाया गया है।





2011-16 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 17.92 प्रतिशत से बढ़कर 20.16 प्रतिशत हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 44.62 प्रतिशत से बढ़कर 48.94 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय 13.21 प्रतिशत से घटकर 7.95 प्रतिशत हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.5 2015-16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.5: 2012-13 और 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य. /सा.सं. घ.उ.	वि. व्य/ कु.व्य.	सा. से.व्य. /कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2012-13	7.31	72.81	50.23	14.62	19.22	9.57
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2015-16	6.04	75.24	51.92	14.00	22.98	10.77

कु.व्य: कुल व्यय वि.व्य: विकास व्यय सा.सं.घ.उ: सामाजिक सेवा व्यय पू.व्य: पूँजीगत व्यय
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।
सा.सं.घ.उ का स्रोत : सूचना जो 29 जुलाई 2016 तक सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में रा.रा.क्षे. दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में 2012-13 एवं 2015-16 दोनों वर्षों में निम्न था।
- सरकार ने विकास व्यय को 2012-13 एवं 2015-16 में राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 में अधिक एवं 2015-16 में आंशिक रूप से कम था।
- 2012-13 में कुल व्यय का शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था तथा पुनः 2015-16 में बढ़ गया था।
- 2012-13 एवं 2015-16 में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा व्यय के पुनर्गठन हेतु समुचित उपाय किए जाएं तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आवंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मूल सार्वजनिक तथा योग्यतामूलक वस्तुओं* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.6** तथा **चार्ट 1.9** चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.6: विकास व्यय


(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
क. विकास राजस्व व्यय	12,889.33	14,088.26	15,964.55	16,625.10	20,495.67	18,956.54
ख. विकास पूँजीगत व्यय	3,815.45	3,979.76	4,441.95	4,032.84	4,856.93	4,345.81
ग. विकास ऋण व अग्रिम	3,299.49	2,734.03	5,401.63	1,634.24	2,103.45	2,092.85
कुल	20,004.27	20,802.05	25,808.13	22,292.18	27,456.05	25,395.20

लोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* मूल सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएं व सङ्केत अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र नियुक्त अथवा रियापती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्भनों को नियुक्त व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता इत्यादि।



2015-16 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत के अंतर्गत विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 1,539.13 करोड़ तथा ₹ 511.12 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विकास राजस्व व्यय तथा विकास पूंजीगत व्यय क्रमशः 47.07 प्रतिशत व 13.90 प्रतिशत बढ़े। विकास ऋण तथा अग्रिम 2011-12 से 2012-13 के दौरान 17.13 प्रतिशत तक घट गए, 2013-14 में 97.24 प्रतिशत तक बढ़ गए तथा इसके पश्चात वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 61.25 प्रतिशत तक घट गए।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खंड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2016 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 18,492.15 करोड़ का निवेश किया था। इस निवेश पर प्रतिफल 2015-16 में बहुत कम 0.07 प्रतिशत था। 2011-16 के दौरान प्रतिफल 0.07 तथा 0.23 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने 2015-16 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.54 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाया। **तालिका 1.7** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.7: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अंत तक निवेश	14,655.90	16,388.15	17,060.35	17,660.35	18,492.15
प्रतिफल	33.00	26.25	11.95	12.90	12.32
प्रतिफल (%)	0.23	0.16	0.07	0.07	0.07
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%)	9.77	9.73	9.21	8.59	8.54
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (%)	9.54	9.57	9.14	8.52	8.47

2015-16 में पिछले राजकोषीय वर्ष में निवेश में वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 827 करोड़ तथा दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम दिल्ली में ₹ 4.80 करोड़ के नए निवेश के कारण थी। 23 कंपनियों में ₹ 18,492.15 करोड़ के कुल निवेश में से केवल तीन कंपनियों अर्थात् (i) दिल्ली कॉर्पोरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड, (ii) इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा (iii) इंद्रप्रस्थ गेस लिमिटेड के पास मार्च 2016 तक ₹ 61.09 करोड़ के निवेश थे जिनसे 2015-16 के दौरान ₹ 12.32 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो इन कंपनियों में निवेश का 20.17 प्रतिशत था।

1.8.2 सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार संगठनों/संस्थानों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 59,790.51 करोड़ थी जैसाकि नीचे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: रा.रा.क्षे. सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आरंभिक शेष	45,147.73	47,877.90	50,887.82	55,737.28	57,189.61
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	3,345.41	3,734.83	5,652.37	1,679.94	2,684.32
वर्ष के दौरान पुनर्भूतान की राशि	376.25	724.90	802.91	227.61	83.42
अंतशेष	48,116.90	50,887.82	55,737.28	57,189.61	59,790.51
निवल योग	2,969.17	3,009.93	4,849.46	1,452.33	2,600.91
ब्याज प्राप्तियां	174.14	340.03	379.35	350.52	82.53
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.36	0.67	0.68	0.61	0.14

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से सरकारी उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2015-16 के अंत में बकाया रह गए थे,

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 16,640.71 करोड़), शहरी विकास (₹ 1,724.70 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 14,315.65 करोड़), पावर परियोजनाओं (₹ 10,918.49 करोड़) और विविध ऋण (₹ 15,499.99 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियां व देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियां व देयताओं की वृद्धि व संघटक

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसम्पत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2016 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2015 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष आते हैं।

1.9.2. राजकोषीय देयताएं

तालिका 1.9 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनके वृद्धि की दर, स.रा.घ.उ. से उनके देयताओं, राजस्व प्राप्तियां तथा अपने संसाधनों से अनुपात और इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय देयताएं की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 1.9: राजकोषीय देयताएं-मुख्य पैरामीटर

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	29,608.29	29,242.71	32,080.32	32,497.91	33,303.87
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-1.76)	(-1.23)	9.70	1.30	2.48
राजकोषीय देयताओं का अनुपात:					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	8.63	7.48	7.18	6.57	5.96
राजस्व प्रतियां (प्रतिशत)	132.22	114.40	114.65	109.85	95.16
अपने संसाधन (प्रतिशत)	144.91	121.55	120.70	119.32	108.34
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता के संदर्भ में:					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-0.05)	(-0.09)	0.68	0.12	0.19
राजस्व प्रतियां (अनुपात)	0.17	(-0.09)	1.02	0.23	0.14
अपने संसाधन (अनुपात)	1.55	(-0.07)	0.93	0.52	0.19

रा.रा.क्षे. दिल्ली की संपूर्ण राजकोषीय देयताएं 2011-12 में ₹ 29,608.29 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ (12.48 प्रतिशत) हो गई। 2015-16 के दौरान ₹ 33,303.87 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश' की ₹ 29,977.47 करोड़, 'संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु ऋण' ₹ 3,326.39 करोड़ तथा 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की ₹ 0.01 करोड़ की बाध्यताएं थी। 2015-16 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 0.95 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.08 गुणा थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा

तालिका 1.10 पिछले पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की आंतरिक ऋण रूपरेखा की समय श्रृंखला के विश्लेषण को बताती है।

तालिका 1.10: रा.रा.क्षे.दि.स. की आंतरिक ऋण रूपरेखा तथा प्रति व्यक्ति ऋण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अथशेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की प्रतिशतता में वृद्धि	प्रति व्यक्ति ऋण
2011-12	30,140.09	556.08	1,087.88	29,608.29	-531.80	-1.76	17,624
2012-13	29,608.29	922.41	1,287.99	29,242.71	-365.58	-1.23	17,406
2013-14	29,242.71	4,162.90	1,325.29	32,080.32	2,837.61	9.70	19,095
2014-15	32,080.32	1,764.32	1,346.73	32,497.91	417.59	1.30	19,344
2015-16	32,497.91	2,241.13	1,435.17	33,303.87	805.96	2.48	19,824

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार के आंतरिक ऋण 2011-12 में ₹ 29,608.29 करोड़ से ₹ 3,695.58 करोड़ बढ़ कर (12.48 प्रतिशत) 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पर 2,809.81 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

(ii) ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आकलित करता है। 2011-12 से 2015-16 के पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार **तालिका 1.11** राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.11: ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियां

ऋण धारणीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)	29,608.29	29,242.71	32,080.32	32,497.91	33,303.87
बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर	-1.76	-1.23	9.70	1.30	2.48
स.रा.घ.उ.	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	35.81	13.93	14.25	10.67	13.00
स.रा.घ.उ. से ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	8.63	7.48	7.18	6.57	5.96
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-)531.80	(-)365.58	2,837.60	417.60	805.96
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (चुकाया गया ऋण / सार्वजनिक ऋण का ग्रा.श. + सार्वजनिक ऋण का अ.श.)	9.77	9.73	9.21	8.59	8.54
ब्याज / राजस्व प्राप्ति	13.03	11.20	10.09	9.38	8.03
ऋण भुगतान / ऋण प्राप्ति	1.96	1.40	0.32	0.76	0.64

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2011-12 में ₹ 29,608.29 करोड़ से 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ हो गया तथा 2011-16 की अवधि में 12.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान (-) 1.76 प्रतिशत तथा (+) 9.70 प्रतिशत के मध्य थी। सार्वजनिक ऋण 2,241.13 करोड़ के लघु बचत संग्रहण के अंश के कारण पिछले वर्ष के 1.30 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 2.48 प्रतिशत की दर से बढ़ गई।

स.रा.घ.उ. में वृद्धि की दर 2011-12 में 35.81 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 13.93 प्रतिशत हो गई, 2013-14 में इसमें 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2015-16 में घटकर यह 13 प्रतिशत हो गई। लेकिन यह सार्वजनिक ऋण के ब्याज की औसत दर से थोड़ा अधिक ही थी जो 2011-16 की अवधि के दौरान 8.54 प्रतिशत से 9.77 प्रतिशत के मध्य थी।

ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात 2011-12 में 13.03 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 8.03 प्रतिशत हो गया।



ऋण भुगतान तथा ऋण प्राप्ति के अनुपात में भी 2011-12 में 1.96 से 2015-16 में 0.64 तक घटती प्रवृत्ति दिखाई दी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों - राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटे - एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खंड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 आधिक्य/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 व चार्ट 1.11 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान आधिक्य/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित आधिक्य/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाता हैं।



राजस्व आधिक्य राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों को दर्शाता है। रा.रा.क्षे. में 2011-16 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। यह 2011-12 में यह ₹ 4,428.31 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,656.30 करोड़ हो गई।

2011-16 के दौरान राजकोषीय घाटा जो राज्य के कुल उधार तथा संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, ने मिश्रित आंकड़े दिखाए। राजकोषीय घाटा ने 2011-12 में ₹ 2,545.20 करोड़ से 2013-14 ₹ 3,942.71 करोड़ वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई जो 2014-15 के दौरान 218.83 करोड़ का आधिक्य हो गया तथा बाद में 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,331.92 करोड़ हो गया।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के ऊपर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान का कुल व्यय) के आधिक्य को दर्शाता है। 2011-12 में रा.रा.क्षे. में प्राथमिक आधिक्य था जिसने 2013-14

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

में घटती प्रवृत्ति (-) ₹ 1,118.42 करोड़ दिखाया लेकिन यह पुनः 2014-15 में धनात्मक ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया तथा 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में 18.30 प्रतिशत से बढ़ गई तथा राजस्व व्यय 12.05 प्रतिशत बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2014-15 की तुलना में ₹ 2,581.20 करोड़ के राजस्व आधिक्य में वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसका वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को तालिका 1.12 में नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.12: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	राजकोषीय घाटा / बचत*(-/+)	(-)2,545.20	(-)2,284.95	(-) 3,942.71	218.83	1,331.92
2	राजस्व घाटा / आधिक्य(-/+)	4,428.31	4,901.61	5,614.17	6,075.10	8,656.30
3	निवल पूंजीगत व्यय	(-)4,004.27	(-)4,176.63	(-)4,707.42	(-)4,403.94	4,723.47
4	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)2,969.17	(-)3,009.93	(-) 4,849.46	(-)1,452.32	(-)2,600.91
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**						
1	भा.स. से ऋण	(-) 531.80	365.58	2,837.60	417.60	805.96

* घाटे के आंकड़े - में तथा अधिशेष + में दिखाए गए हैं

** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं

ज्ञोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा वे.ले.का. (दिल्ली)

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूंजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखंडित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएं) हेतु कोई परिसंपत्तीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2011-16 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व आधिक्य रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूंजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसाकि तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2011-12	22,769.35	15,047.60	4,004.27	3,345.42	22,397.29	7,721.75	372.06
2012-13	26,285.87	17,796.48	4,176.63	3,734.83	25,707.94	8,489.39	577.93
2013-14	28,783.60	19,542.23	4,707.42	5,652.37	29,902.02	9,241.37	(-)1,118.42
2014-15	29,812.20	20,735.49	4,403.94	1,679.94	26,819.37	9,076.71	2,992.83
2015-16	35,082.26	23,532.74	4,723.47	2,684.32	30,940.53	11,549.52	4,141.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा वे.ले.का., दिल्ली)

सरकार को 2011-12 में ₹ 372.06 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। 2014-15 में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का प्राथमिक आधिक्य पुनः ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया जोकि 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 319.53 करोड़ से बढ़ गया। यद्यपि पूंजीगत व्यय प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 16.42 प्रतिशत की तुलना में आंशिक रूप से घटकर 15.27 प्रतिशत हो गया। यह 2011-12 के 17.88 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण था। पूंजीगत व्यय पर वित्तीय परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिस्मृतियों में परिणत होना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियां 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से ₹ 5,414.26 करोड़ (18.30 प्रतिशत) बढ़ गई। पिछले वर्ष से 2015-16 में कर राजस्व ₹ 3,621.26 करोड़ (13.61 प्रतिशत) बढ़ गया जबकि गैर-कर राजस्व ₹ 117.14 करोड़ (18.52 प्रतिशत) से घट गया तथा भारत सरकार से अनुदानों में ₹ 1,910.15 करोड़ (81.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. के अपने कर राजस्व का अंश 86.36 प्रतिशत था।

पिछले वर्ष से 2015-16 में कुल व्यय ₹ 33,750.34 करोड़ से ₹ 4,156.97 करोड़ (14.05 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल वृद्धि में राजस्व व्यय ₹ 2,833.06 करोड़ पूंजीगत व्यय ₹ 319.53 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम ₹ 1,004.38 करोड़ थी।

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 18,492.15 करोड़ निवेश किए थे। इन निवेशों पर प्रतिफल 0.07 प्रतिशत था जबकि 2015-16 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.54 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

संपूर्ण राजकोषीय देयताएं 2011-12 में ₹ 29,608.29 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ (12.48 प्रतिशत) हो गई। 2015-16 के अंत में राजकोषीय देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 0.95 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.08 गुणा थी।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों के संबंध में देखे जाने पर यह दर्शाती है कि राजस्व आधिक्य वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से ₹ 2,581.20 करोड़ बढ़ा। 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य बढ़कर 2015-16 में ₹ 1,331.92 करोड़ हो गया। प्राथमिक आधिक्य 2014-15 में ₹ 2,992.83 करोड़ था जो 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया।

1.13 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- i. आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूँजीगत व्यय को बढ़ाना; और
- ii. इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन

तथा

बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2015-16 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2015-16 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका 2.1 के अनुसार थी:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/अधिकता (+)
दत्तमत	राजस्व	26,966.41	671.02	27,637.43	23,586.55	-4,050.88
	पूंजीगत	7,287.91	-30.22*	7,257.69	4,726.54	-2,531.15
	ऋण व अग्रिम	1,673.77	1,026.96	2,700.73	2,684.33	-16.40
कुल दत्तमत		35,928.09	1,667.76	37,595.85	30,997.42	-6,598.43
भारित	राजस्व	3,435.67	2.43	3,438.10	2,992.06	-446.04
	पूंजीगत	0.05	0.21	0.26	0.21	-0.05
	ऋण व अग्रिम	1,765.18	0.00	1,765.18	1,435.17	-330.01
कुल भारित		5,200.90	2.64	5,203.54	4,427.44	-776.10
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यादि कोई हो)		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
कुल जोड़		41,128.99	1,680.40	42,809.39	35,434.86	-7,374.53

* ऋणात्मक आंकड़ा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ (-) 30.59 करोड़ के पुनर्गतान तथा ₹ 0.37 करोड़ के पूरक अनुमान के कारण है।

2015-16 के दौरान कुल ₹ 42,809.39 करोड़ के कुल अनुदान तथा विनियोजन के प्रति ₹ 35,434.86 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,374.53 करोड़ की बचत हुई। ₹ 7,374.53 करोड़ की कुल बचत में ₹ 4,496.92 करोड़ की बचत राजस्व सेक्षण के 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन (सार्वजनिक ऋण) के अंतर्गत तथा पूंजीगत सेक्षण के ₹ 2,877.61 करोड़ का परिणाम थी।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 205 बताता है कि यदि किन्हीं सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रदान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय का राज्य विधानसभा द्वारा नियमितीकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि अनुच्छेद में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरा अनुसार लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है। यद्यपि, 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए लगभग ₹ 83.50 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी अपेक्षित था। अधिक व्यय के बकाया नियमितीकरण की वर्षवार राशि को नीचे तालिका 2.2 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.2 : पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय की राशि
2006-07	7 (38 उप शीर्ष)	9.12
2007-08	5 (30 उप शीर्ष)	11.55
2008-09	5 (29 उप शीर्ष)	17.35
2009-10	3 (3 उप शीर्ष)	5.60
2010-11	2 (5 उप शीर्ष)	3.98
2012-13	1 (11 उप शीर्ष)	27.22
2013-14	6 (18 उप शीर्ष)	5.17
2014-15	2 (12 उप शीर्ष)	3.51
कुल		83.50

2.3.2. 2015-16 के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

वर्ष 2015-16 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि ₹ 61.22 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति दो अनुदानों में छ: उप-शीर्षों के अंतर्गत, वास्तविक व्यय ₹ 63.44 करोड़ के थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था, जोकि अभी (अक्तूबर 2016) तक नियमित किया जाना चाहिए था (परिशिष्ट 2.1)।

इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत ₹ 85.71 करोड़ के अधिक व्यय (2006-07 से 2015-16 तक) को नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

2.3.4 आवंटित प्राथमिकताओं के प्रति बचतें

वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे यह दर्शाते हैं कि सात अनुदानों से संबंधित 30 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल ₹ 1,504.36 करोड़ थी। (परिशिष्ट 2.2)

बचत के कई कारणों में मुख्य कारण प्रचार अभियान प्रारंभ नहीं किया जाना, बकायों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम अनुदान जारी किया जाना, परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, कार्य की धीमी प्रगति तथा निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना इत्यादि थे।

2.3.5 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों में चार अनुदानों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक या कुल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जिसका व्यौरा तालिका 2.3 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3: 2011-16 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राजस्व - दत्तमत								
1 अनुदान सं. 3. न्यायिक प्रशासन								
	2014.00.108.99 / 2014 बी.1 (2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	कु. प्रा.	31.67	34.59	39.62	47.77	62.41	
		ब.	8.69	5.00	6.04	8.05	15.29	
		%	27.43	14.46	15.24	16.85	24.50	
2 अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य								
	2211.00.102.80.00.42 / के 1(3) (1)- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सी.एस.एस)	कु. प्रा.	10.00	4.50	4.90	10.67	10.00	
		ब.	7.45	1.93	3.50	9.21	8.71	
		%	74.50	42.89	71.43	86.32	87.10	
3 अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
	2217.80.191.13 / ऐ. 8 (2)(1)(26)-नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	कु. प्रा.	300.93	339.87	325.16	157.12	377.16	
		ब.	300.93	189.87	325.16	157.12	377.16	
		%	100	55.86	100	100	100	
पूंजीगत-दत्तमत								
4 अनुदान सं. 8- समाज कल्याण								
	5055.00.800.97.00.42 / डी.डी. 1(3)(1)-इलेक्ट्रॉनिक द्राली बसों की शुरुआत- परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली	कु. प्रा.	250.00	10.00	100.00	3.00	11.00	
		ब.	240.75	8.39	97.21	3.00	11.00	
		%	96.30	83.90	97.21	100.00	100.00	

कु.प्रा.-कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुर्नविनियोग), ब.-बचत, % - प्रतिशतता

उपरोक्त तालिका दिखाती है कि वर्ष 2011-12, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान नगर सुधारों के लिए सहायता अनुदान तथा 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्राली बसें-परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली प्रारंभ करने के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता से अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा यह निरंतर बचतों योजना के गैर-क्रियान्वयन को रोकने के लिए प्रभावी उपचारी कार्रवाई करने में विभागों की असफलता का सूचक है।

2.3.6 सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें

सात अनुदानों तथा एक विनियोजन के 43 उपशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) संपूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गए अथवा सरकारी खातों में वित्त वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व वापिस जमा करा दिये गये थे। उप-शीर्षों का विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जांच के बिना ही तैयार किए गए थे। योजनाएं जो कुल प्रावधान को उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं हो सकीं अथवा प्रभावित हुई नगर सुधारों के लिए अनुदान (₹ 377.16 करोड़), गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज (₹ 300 करोड़), समेकित पॉवर विकास योजना के लिए इकिवटी (₹ 50 करोड़), संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए ऋण (330 करोड़), दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (₹ 17 करोड़) डिस्पेंसरी/हेल्थ सेंटर के लिए भवन का निर्माण (₹ 8.00 करोड़) तथा अनुदान सं. 10-विकास: 11 क्षेत्रों में नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास (₹ 249.50 करोड़) थीं।

2.3.7 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक मांग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए। पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ष 2015-16 के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दिखाती है कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान ने एक उप-शीर्ष '2014.00.105.99-सेशन कोर्ट' में ₹ 278.39 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। यद्यपि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम हुआ जैसाकि नीचे तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4: अधिक/अनावश्यक पूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	पूरक अनुदान
राजस्व दत्तमत					
1	अनुदान संख्या 3: न्याय का प्रशासन 2014.00.105.99 सेशन कोर्ट	499.73	480.92	18.81	278.39

पूरक अनुदान के गैर उपयोग का मुख्य कारण शेट्टी वेतन आयोग के बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर प्राप्ति, अन्य बकाया तथा पूर्वानुमानित बिलों की गैर-प्राप्ति भी बताए गए।

2.3.8 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। वर्ष 2015-16 के लिए विनियोग लेखों तथा पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि आठ अनुदानों में 78 उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक पाए गए क्योंकि विभाग अपने वर्तमान अनुदान का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके, ₹ 732.60 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 967.39 करोड़ का संचयी गैर-अनुपयोग हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में बताया गया है। विभागों द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, अनुदान की कम प्राप्ति, क्रय प्रस्तावों को कार्यान्वित न किया जाना, रिक्त पद, एवं कम दावों की प्राप्ति बताया। निम्नलिखित अभ्युक्तियां महत्वपूर्ण हैं:

- (i) अनुदान सं. 2 के अंतर्गत- 'सामान्य प्रशासन विभाग'-क्राइम तथा क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (दत्तमत) के लिए दिल्ली पुलिस सर्विस सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण को सहायता अनुदान उप-शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों के संशोधन के पूर्वानुमान में भा.स. से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण ₹ 2.73 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए। यद्यपि, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण ₹ 9.51 करोड़ की अंतिम बचत हुई।
- (ii) अनुदान सं. 3 के अंतर्गत-'न्याय का प्रशासन' रिक्त पदों को भरने तथा बकायों के भुगतान, अधिक दावों/बिलों की प्राप्तियां तथा उप-शीर्ष-सेशन कोर्ट के अंतर्गत बिजली एवं पानी पर ज्यादा खर्च के कारण ₹ 4.31 करोड़ का पुनर्विनियोजन हुआ था लेकिन बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा पूर्वानुमानित बिलों की गैर प्राप्ति के कारण ₹ 301.50 करोड़ की अंतिम बचत हुई।
- (iii) अनुदान सं. 7 के अंतर्गत-'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' - दिल्ली स्वास्थ्य मिशन उप-शीर्ष के अंतर्गत भा.स. से निधियों की प्राप्ति के कारण ₹ 24.99 करोड़ पुनर्विनियोजित हुए थे यद्यपि ₹ 36.98 करोड़ अप्रयुक्त रहे। उप-शीर्ष दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत ₹ 39.99 करोड़ की पुनर्विनियोजित राशि के प्रति ₹ 40.00 करोड़ की बचत हुई। इसी प्रकार, उप-शीर्ष अस्पतालों में पोस्टमार्टम यूनिटों, पर व्यय के अंतर्गत दि.न.नि. को बकायों का भुगतान तथा वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण ₹ 8.49 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित हुई लेकिन सक्षम प्राधिकारी के भुगतान को संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण ₹ 10.40 करोड़ की बचत हुई।

- (iv) अनुदान सं. 10 'विकास' के अंतर्गत ₹ 105.73 करोड़ लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता/अनुदान राशि के लिये पुनर्विनियोजित हुए थे। यद्यपि ₹ 15.45 करोड़ की बचत हुई क्योंकि कई लाभार्थी आवश्यक प्रमाणपत्रों की कमी के कारण भुगतान पाने में असफल हो गए।
- (v) अनुदान सं. 11 'शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग' के अंतर्गत ₹ 93.00 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए, लेकिन ₹ 180.77 करोड़ की बचत हुई क्योंकि कार्य को वर्ष के अंत में संस्थीकृति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

40 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.5**) के संबंध में ₹ 2,537.71 करोड़ के (मूल प्रावधान के एक करोड़ तथा 60 प्रतिशत से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से 20 उप-शीर्षों में पदों का गैर-सृजन, कम प्रचार अभियान, कम अनुदान जारी किया जाना, खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, योजना का गैर-कार्यान्वयन, योजना की धीमी प्रगति, कम पुनर्भुगतान, निधि को जारी नहीं किया जाना, इकिवटी जारी नहीं किया जाना, कम ऋण जारी किया जाना तथा योजना को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण ₹ 1,074.00 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पण किये गये।

अनुदान संख्या- 2: सामान्य प्रशासन, अनुदान सं.- 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या- 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उल्लेखनीय अभ्यर्पण क्रमशः ₹ 400.00 करोड़, ₹ 135 करोड़ तथा ₹ 271.80 करोड़ हुआ। अभ्यर्पण के कारण प्रचार अभियान का प्रारंभ नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति तथा कम अनुदान जारी नहीं किया जाना इत्यादि था।

2.3.10 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि प्रावधानों के साथ-साथ बचतों जिनको लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना होता है। वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर चार अनुदानों में ₹ 31.39 करोड़ की बचत हुई थी परन्तु संबंधित विभागों (**परिशिष्ट 2.6**) द्वारा इसके किसी भाग का अभ्यर्पण नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 10 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 5176.08 करोड़ की बचत में से जहां प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ अधिक की बचत थी, ₹ 2,222.26 करोड़ (बचत की राशि का 42.93 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके ब्यौरे (**परिशिष्ट 2.7**) में दिए गए थे।

2.3.11 अव्याहरिक बजट व्यवस्था

सा.वि.नि. का नियम 48(2) यह अनुबंध करता है कि मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों तथा अन्य संगतीय कारणों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए। वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उप-योजना (सी एस एस तथा एस सी एस पी) योजनाओं के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु छः अनुदान विनियोजन में से 38 उपशीर्षों में ₹ 35.20 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिसने विधान सभा द्वारा पारित किए गए बजट प्रावधानों के मूल उद्देश्य को निष्फल सिद्ध कर दिया। निधियों के गैर-उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना और योजनाओं का कार्यान्वयन न होना बताया गया।

2.3.12 व्यय का द्रुतप्रवाह

सामान्य वित्तीय नियम का नियम 56 अनुबंध करता है कि विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा जिसे दूर किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत विभाग द्वारा मार्च 2016 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही में 34 उप शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 51.27 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि **परिशिष्ट 2.9** में दिखाया गया है।

अंतिम तिमाही में गैर अनुपातिक रूप से अधिक व्यय किए जाने के कारण सरकार से प्रतीक्षित है।

2.4 व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियां

विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए मांगें जिनमें जमा और वसूलियां सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिसे व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियां और जमा को बजट आकलनों में पृथक रूप से ‘शून्य’ दिखाया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान ‘शून्य’ पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 239.34 करोड़ की वास्तविक वसूलियां थीं।

2.5 अनुदान सं. 6- शिक्षा के पुनरीक्षण के निष्कर्ष

वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए अनुदान संख्या-6-शिक्षा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की संवीक्षा सितम्बर 2016 में की गई तथा संवीक्षा के दौरान चिह्नित बिंदु नीचे वर्णित है:

- (i) पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदानों के अंतर्गत बजट प्रावधान किए गए व्यय तथा बचतों की पूरी स्थिति को तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5: बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2013-14	5,184.74	188.10	4,730.27	53.09	454.47	135.01
2014-15	5,741.95	194.60	5,162.73	34.04	579.22	160.56
2015-16	6,803.08	632.96	5,671.24	446.22	1,131.84	186.74
कुल	17,729.77	1,015.66	15,564.24	533.35	2,165.53	482.31

- (ii) सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) के नियम 56(2) अनुबंध करता है कि बचतों के साथ-साथ प्रावधान जोकि लाभ की दृष्टि से उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। इस उद्देश्य से कि अंतिम स्तर पर अभ्यपर्णों की संभावना को कम किया जा सके। 2013 से 2016 तक ₹ 2,684.57 करोड़ की बचतों में से, ₹ 924.20 करोड़ की राशि (बचत की राशि का 34.43 प्रतिशत) मार्च 2016 तक अभ्यर्पित नहीं की गई थी, जैसा कि ब्यौरे को परिशिष्ट 2.10 में दिया गया है।
- (iii) जब पूरक अनुदान को प्राप्त किया जाता है, विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उन्हें अतिरिक्त बजटीय राशि की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय सावधानी से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पूरक मांगों को केवल विशेष तथा आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अतिरिक्त व्यय के पूर्वाभास में उप-शीर्ष अतिरिक्त स्कूली सुविधाओं में ₹ 40 करोड़ की राशि का पूरक अनुदान प्राप्त किया था लेकिन रिक्तियों तथा मोडिफाईड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एम ए सी पी) को अंतिम रूप नहीं दिए जाने एवं बिलों के गैर-निपटान के कारण अंतिम व्यय वास्तविक अनुदान से कम था।
- (iv) यहां अनुदान के तहत 13 मामलों/उप-शीर्षों में एक करोड़ से अधिक की लगातार बचतें थीं जोकि अव्यवहारिक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा योजना के कार्यान्वयन में विभाग की ओर से शिथिलता को दर्शा रही थीं।
- (v) अनुदान के सेक्षण-वार विनियोजन लेखे भी दिखाते हैं कि राजस्व दत्तमत सेक्षण में 9 से 17 प्रतिशत की तथा राजस्व भारित सेक्षण में 52 से 87 प्रतिशत की निरंतर बचतें थीं जबकि पूंजीगत दत्तमत सेक्षण में बचतें कुल अनुदान का 26 से 84 प्रतिशत थीं जो अवास्तविक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रावधान को इंगित करती हैं।
- (vi) 54 मामलों में पुनर्विनियोग अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के योग्य नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 71.23 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति इन मामलों में ₹ 169.50 करोड़ की संचित गैर-उपयोगिता हुई थी। निधियों का अनावश्यक रूप से पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजटिंग व्यवहारिता को इंगित कर रहा था।

- (vii) अनुदान के अंतर्गत 36 उप-शीर्ष में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। कुल प्रावधान की बचत इस तथ्य को इंगित करते थे कि वास्तविक आवश्यकता की जांच किए बगैर तथा उपर्युक्त परियोजनाओं/योजनाओं की अनुचित संवीक्षा किए बगैर आकलन बनाए गए (**परिशिष्ट 2.11**)।
- (viii) भारत के संविधान की धारा 205 बताती है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष में उस सेवा पर अनुदानित राशि से अधिक राशि व्यय हो जाए तो अधिक व्यय को राज्य विधान सभा से नियमित कराया जाना चाहिए। यद्यपि धारा में व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, व्यवहार में अधिक व्यय को लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन कराए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, उस अवधि के ₹ 1.43 करोड़ के अधिक व्यय को अभी नियमित कराया जाना था।
- (ix) सा.वि.नि. के नियम 56(3) प्रदान करता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह विशेषतः वर्ष के अंतिम माह में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसे नकारा जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभाग द्वारा मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 64 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के मध्य खर्च किया गया।

2.6 निष्कर्ष

2015-16 के दौरान ₹ 42,809.39 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 35,434.86 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,374.53 करोड़ (17.23 प्रतिशत) की बचत हुई। 2006-07 से 2015-16 की अवधि से संबंधित ₹ 85.72 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना था।

उप शीर्ष सेशन कोर्ट में ₹ 278.39 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 78 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत असंगत थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 967.39 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/प्रावधान अधिक हो गया। 20 उप-शीर्षों में, ₹ 1,074.00 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित कर दिया गया।

अनुदान सं. 6- शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 13 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें निरंतर चल रही थीं।

2.7 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

I. अधिक व्ययों के नियमितीकरण को तीव्र करना:

- II. बड़ी बचतों और पूरक प्रावधानों से बचने हेतु अधिक व्यावहारिक बजट प्रावधान की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया को उन्नत करना।
- III. वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता से बचने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - 3

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों की अनुपालन की चर्चा की गई है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि. का नियम 212 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर अनुदानग्राहियों से विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए। जबकि, 31 मार्च 2015 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, ₹ 18,908.72 करोड़ की समुचित राशि के 3,821 उ.प्र. 31 मार्च 2016 तक अनुदानग्राहियों द्वारा नहीं भेजे गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समयवार विलंब को तालिका 3.1 में वर्णित किया गया है:

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या)	कुल जारी किया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	0-2	676	5,006.71	274	1,686.01
2	2-4	422	6,841.01	362	4,935.54
3	4-6	340	2,681.12	336	2,573.66
4	6-8	309	3,011.14	309	3,011.14
5	8-10	1290	2,024.36	1,290	2,024.36
6	10 और उससे अधिक	1250	4,678.01	1,250	4,678.01
	कुल	4287	24,242.35	3821	18,908.72

स्रोत: वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचनाओं से संकलित

3,821 बकाया उ.प्र. में से, दो से दस वर्षों के बीच की अवधि के लिए ₹ 14,230.71 करोड़ के 2,571 उ.प्र. (67.29 प्रतिशत) बकाया थे, जबकि ₹ 4,678.01 करोड़ के 1,250 उ.प्र. (32.71 प्रतिशत) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

मुख्य चूककर्ता दिल्ली नगर निगम था जिसकी बकाए में ₹ 10,342.49 करोड़ (54.70 प्रतिशत) की भागीदारी थी। नई दिल्ली नगर परिषद्, दिल्ली विद्युत बोर्ड¹, दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना विकास निगम ने शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों

¹ 1.7.2002 से दिल्ली विद्युत बोर्ड छ: अनुबंधी कंपनियों: दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी), दिल्ली ट्रांस्फर लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बी.एस.ई.एस राजधानी पॉवर लिमिटेड-डिस्कॉम, बी.एस.ई.एस यमुना पॉवर लिमिटेड (बी.य.पॉ.लि.)-डिस्कॉम, तथा नार्थ दिल्ली पॉवर लिमिटेड-डिस्कॉम (नॉ.टि.पॉ.लि.) में विवरित किया गया

के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किये। कला, संस्कृति तथा भाषा विभाग ने भी प्राप्त अनुदानों के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

नि.म.ले.प. को आठ निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत सौंपी गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शाई गई है। आठ² निकायों / प्राधिकरणों में से, केवल दो³ निकायों / प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-15 तक प्राप्त हुए। जबकि वर्ष 2014-15 के लिए एक निकाय⁴ की लेखापरीक्षा को सौंपा जाना प्रतीक्षित है।

पांच निकायों / प्राधिकरणों के 2014-15 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2016 तक प्राप्त नहीं हुए। इन बकाया लेखों के विवरण तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2016 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2013-14 और 2014-15	2	--
2.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2010-11 से 2014-15	5	--
3.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2014-15	1	--
4.	दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	2014-15	1	--
5.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट, दिल्ली	2014-15	1	--

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पांच निकायों / प्राधिकरणों के वर्ष 2014-15 तक के 10 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली जल बोर्ड के मामले में पांच वार्षिक लेखे 2010-11 से बकाया थे जबकि नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को 2013-14 से 2014-15 तक के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने थे। दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014-15 के अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

2 (i) दिल्ली कल्याण समिति (ii) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (iii) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (iv) दिल्ली जल बोर्ड (v) दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (vi) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (vii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, तथा (viii) अम्बेडकर विश्वविद्यालय

3 (i) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग

4 दिल्ली कल्याण समिति

3.3 दुर्विनियोजन, हानियां तथा गबन

31 मार्च 2016 तक विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को ₹ 23.30 लाख की चोरी, सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के 24 मामले सूचित किए गए। लंबित मामलों की आवधिक रूपरेखा तथा प्रत्येक वर्ग में चोरी और दुर्विनियोजन/हानि में लंबित मामलों की संख्या को नीचे तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, गबन की रूपरेखा

लंबित मामलों की आवधिक रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
आवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0-5	04	12.92	चोरी	12	0.71
5-10	12	09.89			
10-15	06	0.06	दुर्विनियोजन/ सामग्री की हानि	12	22.59
15-20	01	0.03			
20-25	1	0.40			
कुल	24	23.30	कुल लंबित मामले	24	23.30

इन 24 मामलों में से, आठ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से तथा चार मामले दिल्ली जल बोर्ड से हैं।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान 12 व्यक्तिगत जमा खाते महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रचालित किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2016 को इन 12 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 75.09 करोड़ की राशि बकाया थी।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 यह अनुबंध करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था।

दस्तावेजों की जांच से ज्ञात हुआ कि ₹ 1,152.21 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 554.01 करोड़ (48.08 प्रतिशत) के वि.प्र.आ. बिल प्राप्त किए गए जिस कारण 31 मार्च 2016 तक ₹ 598.20 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। 2015-16 में वि.प्र.आ. बिलों द्वारा सा.आ. बिलों के समायोजन में पिछले साल से 12.10 प्रतिशत की कमी हुई। वर्षवार विवरण नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4 : सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.प्र.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.प्र.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
2010-11 तक	135.60	18.66	13.76	116.94
2011-12	23.80	8.80	36.97	15.00
2012-13	99.21	36.38	36.67	62.83
2013-14	83.63	42.62	50.96	41.01
2014-15	234.84	150.94	64.27	83.90
2015-16	575.13	296.61	51.57	278.52
कुल	1,152.21	554.01	48.08	598.20

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पांच वर्षों से अधिक की अवधि के सा.आ. बिल बकाया थे। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितम्बर 2016) कि बकाया सा.आ. बिलों की संवीक्षा वे.ले.का. के साथ समय-समय पर की गई तथा निर्देश भी जारी किए गए कि जिन विभागों में सा.आ. बिल बकाया है वहां उन्हें आगे निधियां जारी नहीं की जाए। यद्यपि, शेषों को समाप्त करने के बजाए बकाया अग्रिम/शेष में वृद्धि की प्रवृत्ति है। विभिन्न विभागों द्वारा वि.आ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए आहरित निधि उपयोग में लाई गई जिसके लिये यह निकाली गयी थी। इस प्रकार, किसी भी विस्तृत आकस्मिक बिलों के ब्यौरे के अभाव में निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका था।

3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा इस प्रकार के लेन-देन “संघीय सरकार के खाते” के अंतर्गत किए जाते हैं। ऐसे सभी लेन-देनों का अंत में निवारण या तो नकद रूप में वसूली के भुगतान अथवा खाता समायोजन द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें मुख्य शीर्ष-‘8658-उचंत’ में दर्ज किया जाता है जिनका अल्प अंतरालों में पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केंद्रीय) में ऐसे लेन देनों की जांच ने दिखाया कि 31 मार्च 2016 को ₹ 207.80 करोड़ की राशि बकाया थी जिसे तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5 : उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष	निवल जोड़(+)/निपटान(-)	अंतशेष
2011-12	158.81	(+) 56.81	215.62 (डेबिट)
2012-13	215.62	(+) 58.16	273.78 (डेबिट)
2013-14	273.78	(+) 877.87	1151.65 (डेबिट)
2014-15	1,151.65	(-) 896.89	254.76 (डेबिट)
2015-16	254.76	(-) 46.96	207.80 (डेबिट)

31 मार्च 2016 तक एम एच 8658-उचंत के अंतर्गत शेषों (लघु शीर्षवार) का विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: एम एच 8658-उचंत के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष के नाम	राशि
वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता (101)	28.99 (डेबिट)
नकद परिशोधन उचंत खाता (न.प.उ.खा.) (107)	177.57 (डेबिट)
भविष्य निधि उचंत खाता (113)	0.09 (डेबिट)
सामग्री क्रय उचंत खाता (सा.क्र.उ.खा.) (129)	11.75 (क्रेडिट)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत खाता (108)	13.00 (डेबिट)
उचंत खाता (सिविल) (102)	0.10 (क्रेडिट)
कुल	207.80 (डेबिट)

सरकार ने कहा (अगस्त 2016) कि उचंत खातों में शेषों का संग्रह एक अस्थायी घटना है तथा शेषों को साथ-साथ प्रतिपूर्ति या उचित लेखाशीर्ष में बुक समायोजन दर्ज कर समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त “नकद परिशोधन उचंत लेखों” (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अंतर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.म.), भारत सरकार के वे.ले.का. तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है। मामले को मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. के समक्ष उठाया गया है।

3.7 मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि विवरणी सं. 4 (संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम) तथा विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी) में बिना किसी स्पष्टीकरण के ऋण तथा भुगतानों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष था जैसा कि नीचे तालिका 3.7 में वर्णित है।

तालिका 3.7: ऋण तथा भुगतानों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	31.03.2016 को शेष
1	विवरणी सं. 4	(डी) सरकारी सेवकों को ऋण	(-)880.54
2	विवरणी सं. 16	6401- फसल पशुपालन के लिए ऋण 105- खाद तथा उवरक	(-)90.08
3		6851- गांव एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण 102- लघुस्तरीय उद्योग	(-)55.73
4		6885- उद्योग एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण 800- अन्य ऋण	(-)0.19
5		7610- सरकारी सेवकों को ऋण 201- गृह निर्माण अग्रिम	(-)579.42

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	31.03.2016 को शेष
6		7610- सरकारी सेवकों को ऋण 202- मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	(-)153.61
7		7610- सरकारी सेवकों को ऋण 203- अन्य वाहनों को खरीदने के लिए अग्रिम	(-)21.17
8		7610- सरकारी सेवकों को ऋण 203- कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	(-)146.64

सरकार ने कहा (अगस्त 2016) कि प्रतिकूल शेषों की वास्तविक स्थिति को स्पष्टीकरण हेतु पहले ही संबंधित विभागों को अवगत कराया गया था। मुख्य शीर्ष 7610- सरकारी सेवकों के ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष के संबंध में यह सूचित किया गया था कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों में के.लो.नि.वि. के कार्मिकों द्वारा लिए उनके ऋणों से संबंधित शेषों की वसूली उनकी लो.नि.वि, रा.रा.क्षे.दि.स. में कार्याविधि के दौरान ही की जाएगी। मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में वसूलियों को क्रेडिट किया गया था। इस प्रकार की वसूलियों को केंद्रीय सरकार के विभाग के उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय केंद्रीय सरकारी विभाग के वे.ले.का. को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान, केंद्रीय सरकारी के विभाग के वे.ले.का. को स्थानान्तरित की गई राशि से प्राप्तियां अधिक होगी जिससे लेखों में प्रतिकूल शेष के मामले हो जाते हैं।

3.8 लेखों का गलत वर्गीकरण

विविध लघु शीर्ष-800 का संचालन

लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी करना चाहिए जब लेखों में उचित लघु शीर्ष न दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2015-16 के दौरान 10 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 261.49 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 248.24 करोड़ (94.93 प्रतिशत) की प्राप्तियां लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियां' तथा लेखों के 17 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई, ₹ 8,066.04 करोड़ में से ₹ 5,925.37 करोड़ (73.46 प्रतिशत) का वर्गीकरण लेखों के लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया था।

विविध लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय/प्राप्तियां के अंतर्गत एक प्रचुर राशि को वर्गीकृत किए जाने से वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

3.9 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में बहुत देर थी तथा इसके परिणामस्वरूप अनुदान का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹ 14,230.71 करोड़ (67.29 प्रतिशत) के उ.प्र. दो से 10 वर्षों तक के बकाया थे जबकि ₹ 4,678.01 करोड़ के (32.71 प्रतिशत) के उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक बकाया थे। आठ निकायों/प्राधिकरणों में से पांच निकायों/प्राधिकरणों के 10 वार्षिक लेखे 2014-15 तक

के बकाया थे जो मार्च 2016 तक प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2016 तक ₹ 23.30 लाख के जनधन के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी एवं गबन के चौबीस मामले कार्रवाई हेतु लंबित थे। 31 मार्च 2016 को ₹ 1,152.21 करोड़ की राशि के प्रति ₹ 598.20 करोड़ के सा.आ. बिल पांच से अधिक वर्षों से बकाया थे। विविध लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत बड़ी राशि के वर्गीकरण से वित्तीय रिपोर्टिंग का उचित एवं निष्पक्ष रूप प्रभावित होता है तथा सुदृढ़ निर्णय करने में लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

3.10 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. की समय से प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पहले के अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए;
- (ii) निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाना; तथा
- (iii) उचंत शीर्ष का तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा किया जाना।

प्रतिवेदन में सम्मिलित उपरोक्त बिन्दुओं को सरकार को जारी किया गया (नवम्बर 2016), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

नई दिल्ली

(सुशील कुमार जायसवाल)

दिनांक: 28 फरवरी 2017

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

दिनांक: 02 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

रा.सा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा		
ए. सामान्य आंकड़े		
क्र.सं.	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्रफल	1483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	ए. 2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	बी. 2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	ए. जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	बी. जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्गकिमी.)	11320* व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.5** प्रतिशत)	15.60** प्रतिशत
5	ए. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	बी. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0* प्रतिशत)	86.21* प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** = 39 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)	20.0***
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 67.5 वर्ष)	ल.न.
8.	गिनी गुणांक****	
	ए. ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)	0.25
	बी. शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)	0.35
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2015-16 वर्तमान मूल्य पर	₹ 5,58,745.26 करोड़
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2006-07 से 2015-16)	13.77 प्रतिशत
	सामान्य श्रेणी के राज्य	14.27 प्रतिशत
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2006-07 से 2015-16)	17.04 प्रतिशत
	दिल्ली	15.75 प्रतिशत
बी. वित्तीय आंकड़े		
क्र.सं.	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)
1	मि.वा.वृ.द्ध.	2006-07 से 2014-15 2014-15 से 2015-16
		सामान्य श्रेणी राज्य + दिल्ली सामान्य श्रेणी राज्य + दिल्ली
	ए. राजस्व प्राप्ति	14.74 10.35 15.00 18.30
	बी. स्वयं का कर राजस्व	15.08 11.29 13.28 13.61
	सी. गैर कर राजस्व	10.20 -8.90 6.00 -18.52
	डी. कुल व्यय	16.71 9.73 16.42 14.05
	ई. पूंजीगत व्यय	13.21 10.57 25.80 7.26
	एफ. शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.08 14.40 12.17 3.21
	जी. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.70 14.17 13.44 3.74

सामान्य आंकड़ों के खोल:

*सेसंसदुको इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

**निर्धनता, योजना आयोग के मापन हेतु प्रविधि की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट (जून 2014), पेज 66

***नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन सितंबर 2014, वॉल्यूम 50, जुलाई 2016

****2009-10 के लिए योजना आयोग के आंकड़े,

***** मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

+ तीएसओ (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspx?staus=3-menu_id=82) (असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए स.रा.घ.उ. संबंधित प्र.म.ले./म.ले. से लिया गया है।)

**परिशिष्ट 1.2
(पैराग्राफ 1.1 को देखें)**

पार्ट ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट:

सरकारी लेखों की संरचना: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं—(i) समेकित निधि तथा (ii) आकर्षिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं हैं। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।

भाग I: समेकित निधि: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग II: आकर्षिक निधि: राज्य की आकर्षिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकर्षिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

पार्ट बी: वित्तीय लेखों का ले आउट

विवरणी	ले आउट
विवरणी सं.1	रा.रा.क्षे.दि.स. के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियां एवं संवितरण इत्यादि
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियाँ इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अंतर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरणी सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख ख्रोत जिसमें निधियां उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थीं।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी हुए पदों की परिभाषा नीचे दी गई है:

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्त्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्त्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.दद.)	[वर्तमान वर्ष की राशि / पिछले वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]*100
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [प्रारंभिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्ति-विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.श.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पार्ट ए: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
(i) कर राजस्व	19,971.67	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	13,750.95	15,803.69	17,925.71	18,289.31	20,245.82
राज्य उत्पाद शुल्क	2,533.72	2,869.74	3,151.63	3,422.39	4,237.69
वाहनों पर शुल्क	1,049.19	1,240.18	1,409.28	1,558.83	1,607.01
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,240.25	3,098.06	2,969.07	2,779.88	3,433.60
भूमि राजस्व	0.01	0.01	0.01	61.79	0.51
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	397.54	419.84	463.00	491.70	700.53
(ii) गैर कर राजस्व	460.87	626.93	659.14	632.54	515.40
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश		-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,960.64	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	376.25	724.90	802.92	227.61	83.41
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	22,769.42	26,285.87	28,783.60	29,812.20	35,082.26
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	556.08	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	556.08	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	23,325.50	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,323.39
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	10.00
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	23,325.50	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,333.39
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,964.86	20,659.36	22,366.52	23,509.49	26,342.55
योजनागत	6,440.86	6,498.72	7,462.28	7,946.30	8,379.32
गैरयोजनागत	11,524.00	14,160.64	14,904.24	15,563.19	17,963.23
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	4,347.23	5,738.57	5,597.48	5,983.40	6,427.12
सामाजिक सेवाएं	10,717.11	11,737.43	12,314.54	13,306.11	14,817.83
आर्थिक सेवाएं	21,72.22	2,350.82	3,650.01	3,318.99	4,138.71
सहायता अनुदान और योगदान	728.29	832.53	804.50	900.99	958.89

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
11. पूँजीगत व्यय	4,004.27	4,176.63	4,707.42	4,403.94	4,723.47
योजनागत	3,999.96	4,171.74	4,702.93	4,399.12	4,712.43
गैर योजनागत	4.31	4.90	4.49	4.82	11.04
सामान्य सेवाएं	188.82	196.88	265.48	371.10	377.66
सामाजिक सेवाएं	578.23	1,100.95	1,542.54	1,330.11	1,699.15
आर्थिक सेवाएं	3,237.22	2,878.81	2,899.41	2,702.73	2,646.66
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	3,345.42	3,734.83	5,652.37	1,679.94	2,684.32
13. कुल (10+11+12)	25,314.55	28,570.82	32,726.31	29,593.37	33,750.34
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,087.88	1,287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,087.88	1287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	10.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	26,402.42	29,858.81	34,051.60	30,940.10	35,195.51
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	26,402.42	29,858.81	3,4051.60	30,940.10	35,195.51
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-) / राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)4,428.31	(+)4,901.61	(+)5,614.17	(+)6,075.10	(+)8,656.30
21. राजकोषीय घाटा(-) / राजकोषीय आधिक्य(+) (4+13)	(-)2,545.20	(-)2,284.95	(-)3,942.71	(+)218.83	(+)1,331.92
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+)372.06	(+)577.93	(-)1,118.42	(+)2,992.83	(+)4,141.73
पार्ट डी. अन्य ऑकड़े					
23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2917.26	2862.88	2824.29	2774.00	2809.81
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वोपाय (दिन)		-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर व्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा. घ.उ.)	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
28. बकाया राजकोषीय देयताएं	29,608.29	29,242.71	32,080.32	32,497.91	33,303.87

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
29. बकाया गारण्टियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व / स.रा.घ.उ.	5.82	5.99	5.80	5.38	5.41
निजी गैर-कर राजस्व / स.रा.घ.उ.	0.13	0.16	0.15	0.13	0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / स.रा.घ.उ.	7.37	7.31	7.32	5.98	6.04
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियां	113.05	111.78	116.96	100.03	96.43
राजस्व व्यय / कुल व्यय	70.97	72.31	68.34	79.44	78.05
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	51.88	50.23	46.60	53.85	51.92
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	27.48	22.58	32.26	21.48	23.33
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	15.82	14.62	14.38	14.88	14.00
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	15.07	13.93	13.57	13.63	12.88
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+) 1.29	(+)1.25	(+)1.26	(+)1.23	(+)1.55
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(-) 0.74	(-)0.58	(-)0.88	(+)0.04	(+)0.24
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+) 0.11	(+) 0.15	(-)0.25	(+)0.61	(+)0.74
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं / स.रा.घ.उ.	8.63	7.48	7.18	6.57	5.96
राजकोषीय देयताएं / आर आर	132.22	114.40	114.65	109.85	95.16
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	4.74	46.47	(-)75.89	448.52	285.75
ऋण मुक्ति (मूल +ब्याज) / कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.23	0.16	0.07	0.07	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	9,887.38	10,231.39	12,000.50	12,001.21	15,682.35
वित्तीय परिस्थितियां / देयताएं	94.79	97.88	99.14	98.60	96.90

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियां

	2011-12 (पी)	2012-13 (पी)	2013-14 (पी)	2014-15 (पी)	2015-16 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	35.81	13.93	14.25	10.67	13.00

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (आर)- संशोधित, (पी)- वैकल्पिक,(क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

	2011-12 (पी)	2012-13 (पी)	2013-14 (पी)	2014-15 (पी)	2015-16 (ए)
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71

स्रोत: 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

जिसमें तीन राज्य - गोआ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.5
पार्ट ए: वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

सेवशन ए: राजस्व			संवितरण				
प्राप्तियां		2015-16	2014-15		2015-16		
2014-15		2015-16	2014-15		गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
29,584.59	I. राजस्व प्राप्ति	34,998.85	23,509.49	I. राजस्व व्यय	17,963.23	8,379.32	26,342.55
26,603.90	कर राजस्व	30,225.16	5,983.40	सामान्य सेवाएं	5,974.05	453.07	6,427.12
			13,306.11	सामाजिक सेवाएं	7,374.67	7,443.16	14,817.83
632.54	गैर-कर राजस्व	515.40	6,058.18	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	4,784.61	1,868.02	6,652.63
			3,131.56	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,645.23	1,603.39	3,248.62
-	संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2,116.60	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	425.56	2,124.83	2,550.39
			14.50	सूचना एवं प्रसारण	85.92	0	85.92
327.95	गैर- योजनागत अनुदान	2905.02	238.12	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9.94	241.89	251.83
1,467.36	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	486.72	100.73	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	95.84	20.95	116.79
			1,637.14	समाज कल्याण एवं पोषण	317.22	1583.88	1,901.10
552.84	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	866.55	9.28	अन्य	10.35	0.20	10.55
			3,318.99	आर्थिक सेवाएं-	3,655.62	483.09	4,138.71
			86.13	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियां	85.74	7.29	93.03
			9.87	ग्रामीण विकास	8.55	1.69	10.24
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			136.27	सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	151.09	0.16	151.25
			853.44	ऊर्जा	1,637.81	1.04	1,638.85
			30.60	उद्योग एवं खनिज	10.39	29.32	39.71
			2,034.79	परिवहन	1,632.47	409.74	2,042.21
			19.79	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.89	10.03	11.92
			148.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	127.68	23.82	151.50
			900.99	सहायता अनुदान एवं योगदान	958.89	-	9,58.89
			23,509.49	कुल	17,963.23	8,379.32	2,6342.55
	II. राजस्व घटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		6,075.10	II. राजस्व अधिशेष को आगे खण्ड ब तक ले जाना	-	-	8,656.30
29,584.59	कुल	34,998.85	29,584.59	कुल			34,998.85

सेक्षन बी: पूँजीगत एवं अन्य			संवितरण				
2014-15	प्राप्तियां	2015-16			गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
880.65	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	1,517.07		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	iv. विविध पूँजीगत प्राप्तियां			iv. पूँजीगत रूपरेखा			
		371.10	सामान्य सेवाएं-	7.05	370.61	377.66	
		1,330.11	सामाजिक सेवाएं-	0.19	1,698.96	1,699.15	
		496.64	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	1013.26	1013.26	
		490.44	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.19	385.47	385.66	
		258.38	जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	231.36	231.36	
			सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	
		38.54	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	34.63	34.63	
		32.54	समाज कल्याण एवं पोषण	0	14.70	14.70	
		13.57	अन्य	0	19.54	19.54	
		2,702.73	आर्थिक सेवाएं-	3.79	2,642.87	2,646.66	
		17.33	कृषि एवं अन्य सब गतिविधियां	0	18.19	18.19	
		116.36	ग्रामीण विकास	0	103.60	103.60	
		-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
		86.31	सिंचार्इ एवं बाढ़ नियंत्रण	3.79	48.40	52.19	
		85.32	ऊर्जा	0	12.98	12.98	
		27.27	उद्योग एवं खनिज	0	30.00	30.00	
		2,363.75	परिवहन	0	2,428.75	2,428.75	
		0.39	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.95	0.95	
		6.00	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	0	0	
		4,403.94	कुल	11.04	4,712.43	4,723.47	
227.61	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	83.41	1,679.94	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	-	-	2,684.32
	पॉवर परियोजनाओं से		295.00	पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	470.00
	सरकारी कर्मचारियों से		0.71	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	0.47
	अन्यों से		1,384.23	अन्यों का	-	-	2,213.85
	vi. राजस्व अधिशेष कम किया गया			vi. राजस्व घाटा कम किया गया			

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

सेक्शन बी: पूँजीगत एवं अन्य			संवितरण					
प्राप्तियां			संवितरण					
2014-15		2015-16				गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
1,764.32	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	2,241.13	1,346.73	VII. लोक ऋण की पुनर्जदायगी-	-	-	-	1,435.18
-	बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन- देन	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
1,764.32	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,241.13	1,346.73	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्जदायगी	-	-	-	1,435.18
-	आकस्मिक निधि में विनियोजन	10.00	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन				10.00
-	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	IX आकस्मिक निधि से व्यय				-
-	लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	X. लोक खाता संवितरण				-
-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां				-
-	आरक्षित निधियां	-	-	आरक्षित निधियां				-
-	उचंत एवं विविध	-	-	उचंत एवं विविध				-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण				-
-	जमा एवं अग्रिम		-	जमा एवं अग्रिम				-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		1,517.07	XI अंत में नकद शेष-				3,654.94
			-	खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण				-
			-	रिजर्व बैंक में जमा				-
			-	स्थानीय अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष				-
				नकद शेष निवेश				
32,457.17	कुल	38,850.46	32,457.17	कुल	-	-	-	38,850.46

**परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2016 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31.03.2015 को	देयताएं		31.3.2016 को
32,497.91	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		33,303.87
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
32,497.90	गैर-योजनागत ऋण		33,303.86
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
-	केंद्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	0.01
71,090.80	राजस्व अधिशेष		79,747.10
1,587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,587.95
3,356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356.46
1,08,533.12	कुल		1,17,995.38
परिसम्पत्तियाँ			
49,826.44	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(ए)	54,549.92
17,660.35	कंपनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(बी)	18,492.15
32,166.09	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(ए-बी)	36,057.77
57,189.61	ऋण और अग्रिम	ए	59,790.52
10,450.52	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण	बी	10,918.49
31,837.82	अन्य विकास ऋण	सी=ए- (बी+डी)	33,380.84
14,901.27	सरकारी सेवकों को ऋण व विविध ऋण	डी	15,491.19
1,517.07	संघ सरकार के नकद शेष में विलित नकद शेष		3,654.94
1,08,533.12	कुल		1,17,995.38

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में रिथति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आंकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तथा 31 मार्च 2016 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 49,826.44 करोड़ तथा ₹ 54,549.92 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1,587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016 के लिए क्रमशः ₹ 57,189.61 करोड़ तथा ₹ 59,790.52 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आंकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट-2.1

वर्ष 2015-16 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना
अपेक्षित है

(पैराग्राफ 2.3.2 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
1	2225.01.800.98 अ.जा./अ.ज.जा तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	24.07	25.14	1.07
2	2225.01.277.64.00.42 अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु छात्रावास (एस.सी.एस.पी.)	17.09	19.57	2.48
3	2041.00.800.96 सड़क सुरक्षा सैल गै.स.स. को सहायता अनुदान	3,611.34	3,626.59	15.25
4	4235.02.800.93.00.27 भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान (डबल्यू.सी.डी.)	50.00	97.96	47.96
अनुदान सं. 10: विकास				
5	2250.00.800 अन्य व्यय	66.93	75.03	8.10
6	2053.00.800.71 जिला शहरी विकास एजेंसी (डी.यू.डी.ए.) पश्चिम जिला को अनुदान	2,353	2,499.51	146.51
	कुल	6,122.43	6,343.80	221.37

परिशिष्ट - 2.2

₹ 10 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.4. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
राजस्व-दत्तमत								
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन								
1	2220.01.001.99-सूचना तथा प्रचार	526.19	-399.56	126.63	85.42	41.21	32.54	प्रचार अभियान आंभ नहीं किया जा सका था।
अनुदान सं. 03: न्याय का प्रशासन								
2	2014.00.105.99 सिविल तथा सेशन कोर्ट	499.73	282.69	782.42	480.92	301.50	38.53	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर- प्राप्ति।
3	2014.00.108.99 क्रिमिनल कोर्ट	63.60	-1.19	62.41	47.12	15.29	24.50	कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम दौरों एवं बिजली पर कम खर्च।
अनुदान सं. 05: गृह								
4	2056.00.001.99 जेल	197.15	-4.07	193.08	144.07	49.01	25.38	कम दावे/बिल, विदेशी दौरा न होना, कम प्रकाशन, डीजल की कम कीमत, कम रख रखाव कार्य तथा स्टोर मदों की कम खरीद एवं रिक्त पदों का होना।
अनुदान सं. 07: विकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
5	2210.01.110.33 दिल्ली कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	75.00	-58.00	17.00	0.00	17.00	100.00	कम अनुदान जारी किया गया तथा पिछले वर्ष के अप्रयुक्त सहायता अनुदान से व्यय किया गया।
6	2210.01.800.84 केंद्रीकृत दुर्घटना तथा अभिघात केंद्र	69.00	-25.00	44.00	26.65	17.35	39.43	कम अनुदान जारी किया जाना तथा वाहन की पूर्वानुमानित खरीद जो क्रियान्वित नहीं हो पाई।
7	2210.01.800.44.00.42 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस)	150.00	25.00	175.00	138.02	36.98	21.13	वास्तविक अनुदानों की कम प्राप्ति।
8	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	100.00	परियोजना का क्रियान्वित/प्रांग नहीं होना।
9	2210.01.110.87 जी बी पंत अस्पताल	216.68	0.49	217.17	206.87	10.30	4.74	रिक्त पदों, सी.पी.ए. के अंतर्गत खरीद तथा कुछ बिलों का भुगतान के लिए फाईनल न होना।
10	2211.00.102.76.00.42 अस्पताल में पोस्टमार्टम यूनिटों पर व्यय	4.50	8.50	13.00	2.60	10.40	80.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
अनुदान सं. 08: समाज कल्याण								
11	2235.02.102.55.00.42 समेकित बाल विकास सेवाएं (सी एस एस)	120.00	-10.00	110.00	93.07	16.93	15.39	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति तथा खरीद प्रस्ताव का क्रियान्वित नहीं होना।
12	2236.02.101.82.00.42 पूरक पोषण कार्यक्रम (सी एस एस)	60.00	20.00	80.00	52.80	27.20	34.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
13	2225.01.277.73.00.34 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्र कक्षा 1 से 12 को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति (एस सी एस पी)	60.00	0.00	60.00	49.42	10.58	17.63	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
14	2225.01.789.95.00.42 स्कूलों में अ.जा. के बच्चों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति	55.00	0.00	55.00	39.56	15.44	28.07	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
15	2225.01.789.93.00.34 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्र कक्षा 1 से 12 को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति (एस सी एस पी)	44.00	0.00	44.00	30.82	13.18	29.95	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
अनुदान सं. 10: समाज कल्याण								
16	2030.03.001.90.94 करों में अंश के बदले एस डी एम सी को सहायता अनुदान	600.00	-54.35	545.65	525.22	20.43	3.74	संपत्तियों की खरीद/बिक्री के कारण कम राजस्व तथा एम सी डी/एन डी एम सी को कम ट्रांसफर ड्यूटी प्रभारों का भुगतान।
17	2030.03.001.90.93 करों में अंशों के बदले ई डी एम सी को सहायता अनुदान	130.00	-5.00	125.00	109.08	15.92	12.74	संपत्तियों की खरीद/बिक्री के कारण कम राजस्व तथा एम सी डी/एन डी एम सी को कम ट्रांसफर ड्यूटी प्रभारों का भुगतान।
18	2235.01.200.94 पुर्नवास अन्य राहत उपाय	1.79	105.74	107.53	92.08	15.45	14.37	आवश्यक प्रमाणपत्रों की कमी के कारण लाभार्थी भुगतान के योग्य नहीं थे।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
19	2217.05.800.80.00.42 आधारभूत संरचना का सशक्तीकरण तथा वृद्धि	225.00	24.00	249.00	225.00	24.00	9.64	सक्षम प्राधिकारी की संरक्षित प्राप्ति नहीं होना।
20	2217.80.191.13 नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	404.38	-27.22	377.16	0.00	377.16	100.00	कम निधियों का जारी होना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति।

क्र. सं.	अनुदान / विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
21	2059.80.053 रखरखाव तथा मरम्मत	350.00	0.00	350.00	322.76	27.24	7.78	लो.नि.वि. के पुनर्विन्यास के कारण देरी से कार्य सौंपा जाना।
22	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त राहत	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर प्राप्ति।
पूंजी-दत्तमत								
अनुदान सं. 07: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
23	4210.01.110.64 केंद्रीय प्रापण एजेंसी तथा राज्य औषधि प्राधिकरण	0.00	35.00	35.00	9.38	25.62	73.20	निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
अनुदान सं. 08: समाज कल्याण								
24	5055.00.800.97.00.42 इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें परिवहन के वैकल्पिक साधन की शुरुआत	20.00	-9.00	11.00	0.00	11.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा लो.नि.वि. द्वारा उनको बी.आर.टी. कॉरीडोर तोड़ने के लिए दिए गए ₹ 10.98 करोड़ को खाते में नहीं लिए जाने के कारण।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
25	4059.01.051.96.00.53 कोर्ट बिल्डिंग	132.00	39.10	171.10	159.14	11.96	6.99	परिवर्तित व्यय देरी से प्राप्त होना।
26	4059.60.051.80.90.92 न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं (सी एस एस)	30.00	30.41	60.41	44.37	16.04	26.55	कारण प्रतीक्षित।
27	4070.00.800.89.00.42 सेंट्रल जेल बिल्डिंग	60.00	10.00	70.00	52.28	17.72	25.31	सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति की गैर प्राप्ति।
28	4202.01.202.99.00.53 सेकंडरी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	1,000.00	-559.00	441.00	379.08	61.92	14.04	कार्य की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में कार्य सौंपे जाने के कारण।
29	4202.01.789.98.00.53 सेकंडरी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण (एस सी एस पी)	180.55	-80.55	100.00	48.24	51.76	51.76	कार्य की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में कार्य सौंपे जाने के कारण।
30	5054.04.800.99.00.42 सड़कों तथा पुलों का निर्माण	1,283.00	93.00	1,376.00	1,195.23	180.77	13.14	वर्ष के अंत में संस्वीकृत किए गए कार्य का नहीं सौंपा जाना।
कुल		6,557.57	-494.01	6,063.56	4,559.20	1,504.36		

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहां संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचतों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
अनुदान सं. 5: गृह					
1	2070.00.108.78 अग्नि तथा आपातकालीन सुविधाओं का आधुनिकीरण (सी एस एस)	2.00	0.00	2.00	वर्ष के अंत में प्राप्त निधियों के प्राधिकृत किए जाने तथा व्यय की कोडल औपचारिकताएं पुरी नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
2	2210.01.110.33 दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	17.00	0.00	17.00	कम अनुदान जारी किए जाने एवं पिछले वर्ष से अलग रखे गए अप्रयुक्त सं.अ. से व्यय किए जाने के कारण।
3	2210.01.200.97.00.42 स्वास्थ्य परियोजना डिवीजन	1.00	0.00	1.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
4	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	40.00	0.00	40.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
5	2211.00.101.76.00.42 ग्रामीण परिवार विकास सेवाएं	7.37	0.00	7.37	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
6	2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार विकास केंद्रों की दुबारा मरम्मत	3.00	0.00	3.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण					
7	2236.02.101.76.00.42 किशोरी लड़कियों के लिए सशक्तिकरण पोषण के अतिरिक्त अन्य घटक के लिए राजीव गांधी योजना (सी एस एस)	1.00	0.00	1.00	निधियों की गैर-प्राप्ति, योजना की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के कारण।
8	2225.80.789.95.00.42 मैनुअल अपामार्जक के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यालय तथा उनका पुनर्वास (एस सी एस पी)	2.88	0.00	2.88	योजना की धीमी प्रगति थीं।
9	2225.80.800.65.00.42 मैनुअल अपामार्जक के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यालय तथा उनका पुनर्वास	4.32	0.00	4.32	योजना की धीमी प्राप्ति एवं स्थानीय निकायों जिनके द्वारा योजना का कार्यान्वयन होना था उनसे कोई प्रस्ताव/दावा प्राप्त नहीं होना।
10	3073.60.800.81.00.42 अन्य योजनाओं के लिए अध्ययन/परामर्शदाता सेवाएं	1.00	0.00	1.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित है।
11	3452.01.190.98 दिल्ली इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉलॉजी को सहायता अनुदान	4.00	0.00	4.00	निधि जारी न होने के कारण।
12	3452.80.190.93 छावला एवं कांगनहेरी- वाटर- स्पोर्ट्स के विकास के लिए डीटी एंड टीडीसी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	1.10	0.00	1.10	निधि जारी न होने के कारण।

13	3452.80.190.90 संजय झील में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के विकास के लिए भी टी एंड टी ली सी के को सहायता अनुदान (सी एस सी)	3.02	0.00	3.02	निधि जारी न होने के कारण।
अनुदान सं. 9: उद्योग					
14	2851.00.800.59.00.42 ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का समेकन	1.72	0.00	1.72	प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा ई-बिज पोर्टल के संदर्भ में खरीद प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 10: विकास					
15	2053.00.800.92.94.31 दिल्ली ई-जिला-क्रियान्वयन सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान जारी किए जाने तथा भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
16	2015.00.102.89 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	1.76	0.00	1.76	नए बने इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में पदों के सृजन के पूर्वानुमान में रखे गए प्रावधान के कारण।
17	2015.00.103.89.00.42 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	1.00	0.00	1.00	योजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
18	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी एस एस)	5.00	0.00	5.00	निधियों की गैर-प्राप्ति। चूंकि निधियां सीधे दिल्ली जल बोर्ड को जारी की गई, अलग से निधियां जारी नहीं किए गए।
19	2217.05.800.89.00.42 वॉल्ड सिटी के विकास के लिए एस पी वी	1.00	0.00	1.00	योजना की धीमी प्रगति एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन नहीं प्राप्त होने के कारण।
20	2217.80.191.13 नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	377.16	0.00	377.16	कम निधियों के जारी किए जाने, पिछले वर्ष के दौरान निवल कर वसूली के आधार पर तय प्रावधान के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की गैर संस्थीकृति।
21	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (सी एस एस)	7.00	0.00	7.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
22	2801.05.800.86 वी आर एस लाभों के लिए आई पी जी सी एल को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
23	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त राहत	25.00	0.00	25.00	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 13: पेंशन					
24	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.50	0.00	122.50	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
राजस्व-भारित					
	लोक ऋण				
25	2049.04.104.00.45 गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज	300.00	0.00	300.00	ऋणों का अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
पूंजीगत-दत्तमत					
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
26	4210.01.110.98.00.53 डिस्पेंसरी/हेल्थ सेंटर की बिलिंग का निर्माण	8.00	0.00	8.00	योजना के गैर क्रियान्वयन तथा परियोजना के प्रारंभ नहीं होने के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
27	4235.02.104.95.00.42 हाफ वे होम/लाग स्टे होम	5.63	0.00	5.63	निर्माण पूरा नहीं होने तथा निधियों के जारी नहीं होने के कारण।
	अनुदान सं. 10: विकास				
28	4059.80.800.96 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास केंद्रीय क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
29	4059.80.800.95 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
30	4059.80.800.94 नागरिक स्थानीय क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
31	4059.80.800.93 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
32	4059.80.800.92 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पूर्व क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
33	4059.80.800.91 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
34	4059.80.800.90 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर पूर्व क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
35	4059.80.800.89 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
36	4059.80.800.88 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
37	4059.80.800.87 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास शाहदरा क्षेत्र	20.00	0.00	20.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
38	4059.80.800.86 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पूर्व क्षेत्र	20.00	0.00	20.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
39	4210.04.107.97.00.53 औषधि नियंत्रण के लिए भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00	पी ई की प्रस्तुति तथा संस्थीकृति प्रतीक्षित होने के कारण।
40	4210.04.107.96.00.53 केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	5.00	0.00	5.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य के योजना स्तर पर होने के कारण।
41	5054.04.800.85.00.53 बी आर टी कॉरीडोर	2.00	0.00	2.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बी आर टी प्रस्ताव के संस्थीकृत नहीं होने के कारण।
42	4801.05.190.84.00.32 समेकित पॉवर विकास योजना के लिए इक्विटी	50.00	0.00	50.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
	पूँजीगत भारित				
	लोक-ऋण				
43	6004.01.101 संसाधनों में अंतर को कवर करने के लिए ऋण	330.00	0.00	330.00	ऋणों का अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
	कुल	1,586.96	0.00	1,586.96	

परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचतें	बचतों के कारण
राजस्व-मारित				
1	2012.03.090 सं.राक्षे. सचिवालय के प्रशासक	0.26	1.96	बकाया दावे को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा आवश्यक मितोपभोग उपाय के कारण।
राजस्व दत्तमत				
2	2013.00.800 अन्य व्यय	0.68	1.48	खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण तथा कम दौरों के कारण।
3	2052.00.090.55 मुख्य सचिवालय	0.83	2.46	कई स्टॉफ के स्थानांतरण, वर्ग IV के कर्मचारियों की पदोन्नति, बकाया दावों के तथा विदेशी दौरें कार्यान्वयन नहीं होने के कारण।
4	2055.00.113.95 अपराध तथा अपराधियों की ट्रैकिंग प्रणाली के लिए दिल्ली पुलिस सर्विस सोसाईटी के कंप्यूटरीकरण को सहायता अनुदान (सी.एफ.एस.)	2.73	9.51	सक्षम प्राधिकारी की संस्थीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन				
5	2014.00.105.99 सेशन कोर्ट	4.31	301.50	शेट्टी वेतन आयोग के बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बदले अन्य बकाए तथा पूर्वानुमानित विलों की गैर-प्राप्ति के कारण।
6	2014.00.106 स्मॉल कॉउजेज कोर्ट	1.47	2.05	ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के शेट्टी वेतन आयोग के बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।
7	3454.02.800.74.00.42 सामाजिक सुविधा संगम के लिए आई-टी-घटक	1.09	1.10	कारण प्रतीक्षित है।
अनुदान सं. 5: गृह				
8	2070.00.108.78 अग्निशमन एवं आपातकालीन सुविधाओं का आधुनिकीकरण (सी.एस.एस.)	1.99	2.00	प्राप्त निधियों को वर्ष के अंत में प्राधिकृत किए जाने के कारण तथा व्यय के लिए कोडल औपचारिकताएं पूरी नहीं होने का कारण।
अनुदान सं. 7: विकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
9	2210.01.800.44.00.42 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस.)	24.99	36.98	कम अनुदान प्राप्त होने के कारण।
10	2210.06.800.77.00.42 एच.आई.टी. /एडस प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	0.77	1.06	प्राप्त वास्तविक अनुदान के साथ ₹128.99 लाख के आरभिक शेष के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

11	2210.80.800.80 केंद्रीय प्रापण एजेंसी तथा राज्य औषधि-प्राधिकरण	30.47	2.90	सक्षम प्राधिकारी से व्यय संस्थीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
12	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	39.99	40.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
13	2210.01.110.86 लोक नायक अस्पताल	10.79	8.46	कारण प्रतीक्षित है।
14	2210.01.110.87 जी बी पंत अस्पताल	0.50	10.30	रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों तथा बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
15	2210.06.101.37.00.42 लिवर प्रत्यारोपण यूनिट	1.60	1.77	लिवर प्रत्यारोपण यूनिट को प्रारंभ होना था।
16	2210.01.110.89 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल)	4.96	4.38	खरीद प्रस्ताव एवं बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
17	2210.01.110.91 दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशासन का सुधार	10.68	3.74	रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों तथा बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
18	2210.01.110.53 गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	15.98	2.70	एमएसीपी मामलों एवं निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना।
19	2210.01.110.97 गुरु नानक आई सेंटर	0.54	1.14	रिक्त पद तथा पूर्वानुमानित बिलों की गैर-प्राप्ति।
20	2210.05.105.99.99 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	0.40	9.35	रिक्त पद एवं कम दावे/बिल।
21	2211.00.101.76.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	5.86	7.37	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
22	2211.00.102.80.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)	7.36	8.71	बिलों को अंतिम रूप न दिया जाना।
23	2211.00.102.78.00.42 42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का सुधार (सीएसएस)	1.23	3.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
24	2211.00.102.76.00.42 अस्पतालों में पोस्टमार्टम युनिटों पर व्यय	8.49	10.40	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
25	2211.00.103.80.00.42 विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एम एम आर	2.50	6.25	सी पी ए द्वारा एम एम आर वैकरीन की खरीद से संबंधित भुगतान।
26	2210.01.110.67 डा. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	10.06	6.62	पूर्वानुमानित बिलों के प्राप्त न होने तथा कुछ बिल के मुकदमेबाजी में होना।
अनुदान सं 8: समाज कल्याण				
27	2235.02.001.92.00.42 आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा स्वच्छता में वृद्धि (एस डब्ल्यू डी)	0.29	1.78	प्राप्त अपूर्ण बिलों को भुनाए नहीं जाना।
28	2235.02.104.66.00.42 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)	8.78	5.42	जारी निधियों के लिए एल ओ सी प्राप्त नहीं होना।
29	2235.02.001.86 महिला तथा बाल विकास निदेशालय	0.44	1.36	पूर्वानुमानित दावों का प्राप्त नहीं होना।
30	2235.02.102.60.00.42 आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	2.00	2.02	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
31	2235.02.102.54.00.42 किशोर न्यायालय का कार्यान्वयन (बच्चों की सुरक्षा तथा मामले) अधिनियम, 2000)	0.50	1.13	कल्याण समितियों, किशोर न्यायालय बोर्ड तथा डी डब्ल्यू सी डी (मुख्या.) इत्यादि के विभिन्न कार्यालयों की निधि का खर्च नहीं होना।
32	2235.02.102.24.00.50 अन्य प्रभार	1.93	1.54	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन देर से प्राप्त होना।

33	2236.02.101.82.00.42 पूरक पोषण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	19.99	27.20	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के देर से प्राप्त होना।
34	2225.01.789.99.00.42 निर्देश एवं प्रशासन	2.16	2.07	रिक्त पद।
35	2225.01.789.92.00.42 पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (एस एस एस पी)	1.99	3.67	प्राप्त आवेदनों का भुगतान के लिए पूर्णतः संवीक्षित नहीं होना।
36	2225-80-800-67-00-42 अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम- राज्य सरकार अंश (योजनागत)	4.41	9.71	योजना के राजस्व विभाग में स्थानांतरित होने तथा कोडल औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई।
37	2041.00.800.73.97.42 पूर्णी दिल्ली नगर निगम	0.12	1.44	अनुमानित पार्किंग चार्ज से कम वसूली तथा एम सी डी को कम राशि हस्तांतरित होना।
38	3055.00.190.99.00.33 डी टी सी को रियायती पासों के बदले सब्सिडी	5.99	6.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
अनुदान सं. 9: उद्योग				
39	3456.00.001 निर्देश एवं प्रशा.	0.55	1.46	भुगतान के बकायों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा प्रचार विलों के शब्दार्थ द्वारा सीधे भुगतान किया जाना।
अनुदान सं. 10: विकास				
40	2403.00.001.99 मुख्यालय स्था.	0.75	1.04	निधि की देर से प्राप्ति।
41	2403.00.101.97 अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां	0.89	1.06	निधि की देर से प्राप्ति।
42	2404.00.800.96 डेयरी कॉलोनियों का स्थानान्तरण	4.99	5.00	निधि की देर से प्राप्ति।
43	2711.01.001 निर्देश एवं प्रशा.	0.15	3.02	रिक्त पद एवं कम दावे।
44	2711.03.052.98.00.27 रख-रखाव	10.00	3.95	रिक्त पद एवं कम दावे।
45	2053.00.093.95 सविव राजस्व	5.67	9.02	रिक्त पद एवं कम दावे।
46	2235.01.200.94 सविव राजस्व	105.73	15.45	आवश्यक प्रमाणपत्रों की कमी के कारण कई लाभार्थी भुगतान हेतु सक्षम नहीं हो सके।
47	2406.02.800.88.00.42 शहरी बनों का निर्माण व रख-रखाव	1.00	1.13	कार्य प्रावकलन की देरी से प्राप्ति, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
48	2015.00.106.88.99.42 चुनावों पर व्यय	6.60	2.54	परिवर्तित आउटले के देरी से प्राप्ति तथा इसीलिए प्रस्ताव स्पष्ट नहीं थे।
49	2015.00.102.89 शाहदरा जिला	1.75	1.76	नए बने इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में पदों के सृजन के पूर्वानुमान में रखे गए प्रावधान के कारण।
50	2015.00.103.89.00.42 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	0.99	1.00	इस योजना के अंतर्गत कोई मुख्य गतिविधि क्रियान्वित नहीं होना।
51	2015.00.102.88 दक्षिणी पूर्णी डिस्ट्रिक्ट	1.11	1.09	वर्ष के अंत में निधियां प्राप्त होना।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
52	2217.05.800.80.00.42 आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, गलियाँ, क्षेत्रों, स्ट्रीट लाईट्स इत्यादि की मजबूती तथा वृद्धि	23.99	24.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

53	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	5.00	7.00	परियोजना का क्रियान्वित नहीं होना।
54	2059.80.051 निर्माण	1.25	3.50	पी डब्ल्यू डी के पुनर्विन्यास के कारण देर से सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कम समय बचना।
55	2216.01.106.98 निर्माण	0.25	3.81	पी डब्ल्यू डी के पुनर्विन्यास के कारण देर से सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कम समय बचना।
56	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एक मुश्त राहत	24.99	25.00	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।

पूँजी-दत्तमत

	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
57	4210.01.110.64.00.52 मशीनरी एवं उपकरण	34.99	25.62	निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना।
58	4210.01.110.96 जी बी पंत अस्पताल	5.00	5.68	प्रशासनिक कारणों से भुगतान जारी नहीं किया जाना।
59	4210.01.110.95 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल	0.80	1.84	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
60	4210.01.110.92 गुरु नानक आई सेंटर	1.15	4.17	निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
61	4210.01.110.91 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	2.91	3.03	प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण			
62	5055.00.050.88.00.42 नए बस टर्मिनल के लिए जमीन की खरीद	24.99	1.50	की गई प्रगति के संदर्भ में थोड़ा विचलन होना।
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
63	6215.01.191.81.00.55 चंद्रावल डब्ल्यू टी पी के लिए डी जे बी को ऋण	4.99	7.00	निधियों का अंश प्राप्त नहीं होना।।
64	4059.01.051.98.00.53 यू टी सी एस	0.10	1.02	प्रेषित पी ई, संस्थीकृति प्रतीक्षित।
65	4059.01.051.96.00.53 कोर्ट बिल्डिंग	39.10	11.96	परिवर्तित आउटले का देरी से प्राप्त होना।
66	4059.01.051.89.00.53 दिल्ली इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल; साईंस एंड रिसर्च	22.99	3.47	परिवर्तित आउटले का देरी से प्राप्त होना।
67	4059.60.051.80.90.42 न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचना की सुविधाएं (सी.एस.एस.)	30.41	16.04	देरी से प्राप्त निधियों को प्राधिकृत किया जाना।
68	4070.00.800.89.00.42 सेंट्रल जेल बिल्डिंग	10.00	17.72	कारण प्रतीक्षित।
69	4202.01.203.97.00.42 दिल्ली सरकार प्रायोजित कालेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए	5.00	8.79	द्वारका डी डी यू कालेज के बनने तथा अन्य कालेजों की योजना अवस्था में होने के कारण।
70	4202.03.800.89.00.42 प्लेग्राउंड र्सीमिंग पूल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का विकास	1.70	2.57	प्रस्तुत पी ई, संस्थीकृति प्रतीक्षित।
71	4210.01.110.99.81.42 ताहिरपुर में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल	1.00	1.25	निर्मित अस्पताल के बनने तथा सौंपने की अवस्था में।
72	4210.01.110.99.57.42 आचार्य भिक्षुक अस्पताल	0.95	1.01	प्रस्तुत पी ई तथा संस्थीकृति प्रतीक्षित।

73	4210.01.110.99.54.42 भगवान महावीर अस्पताल	0.93	1.05	प्रस्तुत पी ई तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित।
74	4210.04.107.97.00.53 झंग कंट्रोल के लिए बिल्डिंग का निर्माण	0.80	1.00	प्रस्तुत पी ई तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित।
75	4216.01.106.00.00.53 सामान्य श्रेणी के आवास	15.00	7.54	कुछ स्थानों पर नए आवासीय स्थान के अभी तक योजना अवस्था में होना।
76	5054.04.800.99.00.42 सड़कों तथा पुलों का निर्माण	93.00	180.77	कार्य को वर्ष के अंत में संस्वीकृति देने तथा कार्यान्वयन के लिए कम समय होना।
77	5054.04.800.85.00.53 बी आर टी कॉरिडोर	1.00	2.00	नए बी आर टी प्रस्ताव का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं होना।
78	6801.00.190.94.00.55 दिल्ली ट्रांस्को लि. को ऋण।	1.00	1.00	समय की कमी के कारण प्रस्ताव पूरे न होना।
कुल		732.60	967.39	

परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के ₹ एक करोड़ और 60 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्ण
(ऐराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्यशीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अभ्यर्ण की राशि	मूल प्रावधानों की प्रतिशतता	अभ्यर्ण के लिए कारण
1	अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन	2070.00.104.97 सतर्कता निदेशालय	133.83	120.62	90.13	स्तिर पदों का गैर सृजन।
2		2220.01.001.99 जन संपर्क विभाग	526.19	400.00	76.02	प्रचार अभियान को आरंभ न किया जाना।
3		2052.00.090.72 नए तथा प्रशासनिक सुधार	10.00	7.00	70.00	कार्य की धीमी प्रगति।
4	अनुदान सं. 4: वित्त	2040.00.800.82.00.42 प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार तथा जागरूकता अभियान	1.50	1.30	86.67	कम विज्ञापन अभियान
5		2040.00.800.80 कंप्यूटरीकृत प्रणाली	44.31	27.00	60.93	योजना का गैर कार्यान्वयन
6		3454.02.800..73 वाई-फाई सुविधाएं (उप-शीर्ष) अन्य प्रभार	50.00	49.00	98.00	कार्य की धीमी प्रगति
7		4059.01.051.86.00.53 व्यापार तथा कर उपभवन	2.00	1.50	75.00	कार्य की धीमी प्रगति
8	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	2210.01.102.99 ई एस आई सी को अंशदान	10.00	10.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
9		2210.01.110.14 डी डी यू सुपर स्पेशलिटी को सहायता अनुदान	85.00	79.00	92.94	कम अनुदान जारी किया जाना।
10		2210.01.110.13 राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अंशदान	150.00	135.00	90.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
11		4210.01.110.94 डी डी यू	12.50	9.50	76.00	खरीद के अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
12	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण	2235.02.101.61.00.42 अशक्त लोगों के पुरुन्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2.00	1.85	92.50	कार्य की धीमी प्रगति
13		2235.02.101.50.00.42 हॉफ वे होम/लांग स्टे होम्स की स्थापना	2.00	1.95	97.50	योजना का गैर-कार्यान्वयन
14		2235.02.200.81.00.42 ट्रांसजेंडर को वित्तीय सहायता	3.00	3.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
15		2235.02.800.70.00.42 मॉस-मीडिया तथा शिक्षा (एस डब्ल्यू डी)	1.50	1.22	81.33	योजना की धीमी प्रगति
16		3075.60.800.87.00.42 डी एम आर सी को डी एम आर सी स्वयंसेवकों को बिक्री कर/कार्य संविदा की प्रतिपूर्ति	100.00	85.50	85.50	कम प्रतिपूर्ति
17		3452.01.190.98 होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग तकनीकी संरक्षण दिल्ली	4.00	4.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।

18	अनुदान सं. 9: उद्योग	5475.00.102.89.00.42 जन वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाना	3.00	3.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
19		5475.00.102.88.00.42 जिला फोरम तथा राज्य आयोग को आवास गृह उपलब्ध कराना	2.00	2.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
20		4059.80.800.96 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास, केंद्रीय जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
21		4059.80.800.95 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
22		4059.80.800.94 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण दिल्ली जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
23		4059.80.800.93 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
24		4059.80.800.92 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पूर्वी जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
25		4059.80.800.91 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
26		4059.80.800.90 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तरी पूर्वी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
27		4059.80.800.89 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
28		4059.80.800.88 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तरी पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
29		4059.80.800.87 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास शाहदरा जोन	20.00	20.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
30		4059.80.800.86 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पूर्वी जोन	20.00	20.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
31	अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	18.00	11.22	62.33	निधियां जारी नहीं किया जाना।
32		4202.02.104.90.00.53 भवन	45.00	38.25	85.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
33		4210.01.110.99.99.53 अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	438.00	271.80	62.05	निधियां जारी नहीं किया जाना।
34		4210.04.101.89.00.53 जन स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	75.00	67.00	89.33	निधियां जारी नहीं किया जाना।
35		4210.04.107.96.00.53 केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	50.00	45.00	90.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
36		4801.05.190.84.00.32 एकीकृत पावर विकास स्कीम के लिए इविवटी	50.00	50.00	100.00	इविवटी जारी नहीं किया जाना।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

37		6801.00.203.91.00.55 प्रगति पावर परियोजना-3 बवाना को ऋण	130.00	110.00	84.62	कम ऋण जारी किया जाना।
38	अनुदान सं. 13: पेंशन	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.50	122.50	100.00	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
39		2049.04.104.00.45 गैर-योजनागत स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज	300.00	300.00	100.00	ऋणों को अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
40		6004.01.101 संसाधनों में ऋणों को पूरा करने के लिए	330.00	330.00	100.00	ऋणों को अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
कुल			2,950.83	2,537.71		

परिशिष्ट 2.6

विभिन्न अनुदान/विनियोग जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	सामान्य प्रशासन-प्रभारित	465.00
2	5	गृह-प्रभारित	22.00
3	8	समाज कल्याण-राजस्व-प्रभारित	2.29
		समाज कल्याण पूँजीगत-दत्तमत	2,644.48
5	10	विकास-प्रभारित	4.95
		कुल	3,138.72

परिशिष्ट 2.7

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ का विवरण
(पैराग्राफ: 2.3.10 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1	अनुदान संख्या 1-विधान सभा	दत्तमत	1.77	0.76
2	अनुदान संख्या 2-सामान्य प्रशासन	दत्तमत	600.14	529.22
3	अनुदान संख्या 3-न्यायिक प्रशासन	दत्तमत	338.04	7.21
		प्रभारित	21.41	17.94
4	अनुदान संख्या 4-वित्त	दत्तमत	125.43	103.28
5	अनुदान संख्या 5-गृह	दत्तमत	105.62	45.39
6	अनुदान संख्या 7-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत	633.62	307.79
7	अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण	दत्तमत	361.52	120.33
8	अनुदान संख्या 9-उद्योग	दत्तमत	43.93	28.27
9	अनुदान संख्या 10-विकास	दत्तमत	506.66	361.68
10	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	2,437.94	1,431.95
	कुल		5,176.08	2,953.82
				2,222.26

परिशिष्ट 2.8

अवास्तविक बजटीकरण जहां सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस तथा
एस सी एस पी के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व: दत्तमत				
अनुदान सं. 5: गृह				
1	2070.00.108.98.00.42 प्रशिक्षण के लिए उपकरण की खरीद	4.11	0	4.11
2	2070.00.108.78 अग्नि तथा ऊर्जा सेवाओं का आधुनिकीकरण (सी.एस.एस.)	200	0	200
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
3	2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं उप-केंद्र (सी.एस.एस.)	70	0	70
4	2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्सुधार (सी.एस.एस.)	300	0	300
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
5	2236.02.101.76.00.42 किशोर लड़कियों के पोषण के अतिरिक्त अन्य संघटक के लिए राजीव गांधी स्कीम	100	0	100
6	2225.01.277.77.00.42 कोचिंग तथा संबंधित योजना (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	5	0	5
7	2225.01.277.70.00.34 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (सी.एस.एस.)	2	0	2
8	2225.01.277.58.00.42 दिलशाद गार्डन में परीक्षा पूर्व कोचिंग के लिए नए केंद्र	5	0	5
9	2225.01.789.84 राजीव गांधी रत्न आवास योजना के अधीन अ.जा.स्लम निवासियों को वित्तीय सहायता के लिए डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	1	0	1
10	2225.01.789.83.00.42 अ जा के लिए शिक्षा (एस सी एस पी)	10	0	10
11	2225.01.789.82 मातृ शिक्षा सुरक्षा योजना के अधीन अ जा गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	45	0	45
12	2225.01.789.81 अ जा महिलाओं को प्रसव कराए जाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	45	0	45
13	2225.01.800.74.00.42 अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (सी.एस.एस.)	50	0	50
14	2225.80.789.97.00.42 के आई एस एस सोसायटी के साथ कोलाब्रेशन में ईशापुर गांव, दिल्ली में अ जा/अ पि व/अल्पसंख्यकों के कमज़ोर वर्ग तथा अनाथों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना	160	0	160
15	2225.02.190.98 अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए सोसायटी (सी.एस.एस.)	100	0	100
16	2225.80.789.96.00.42 अ जा/अ ज जा के लिए डी एस सी एफ डी सी को वित्तीय सहायता (एस सी एस पी)	20	0	20
17	2225.80.789.95.00.42 झाडू लगाने वाले तथा उनके सुधार के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन (एस सी एस पी)	288	0	288
18	3452.01.190.77 सैयद-उद-अजायब में पर्यटन काम्पलैक्स (सी.एस.एस.)	15	0	15
19	3452.80.190.93 छावला तथा कंगनहेड़ी जल संयंत्रों के विकास के लिए डी टी टी तथा टी डी सी को सहायता अनुदान	110	0	110
20	3452.80.190.90 सॉफ्ट एडवेंचर पार्क, संजय झील के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	302	0	302

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
21	3452.80.190.87 दिल्ली हॉट, आई एन ए नई दिल्ली में नई सुविधाओं के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	15	0	15
22	3452.80.190.86 इंगिफेरेस्ट के आयोजन के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	4	0	4
23	3452.80.190.84 दिल्ली में त्यौहारों के आयोजन के लिए डी टी एण्ड टी डी एस को स अ (सी.एस.एस.)	50	0	50
24	3452.80.190.83 अद्भुत भारत उत्सव के आयोजन के लिए डी टी एण्ड बी एण्ड सी को स अ (सी.एस.एस.)	15	0	15
अनुदान सं. 9: उद्योग				
25	2851.00.800.59.00.42 ई-बिल पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सी.एस.एस.)	172	0	172
अनुदान सं. 10: विकास				
26	2403.00.101.69 चेचक उन्नूलन सामान्य संघटक पर राष्ट्रीय परियोजना (सी.एस.एस.)	5	0	5
27	2403.00.101.62.00.42 पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (प.स्वा. एवं रो.नि.) (सी.एस.एस.)	5	0	5
28	2403.00.113.96.00.42 बड़ी मात्रा में पशुधन उत्पादकों के अनुमानों के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (सी.एस.एस.)	30	0	30
29	2245.80.102.95.00.42 भूकम्प आपदा प्रबंधन क्षमतापूर्ण भवनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	50	0	50
30	2245.80.102.93.00.21 एस डी एम ए तथा डी डी एम ए का सुदृढ़ीकरण (सी.एस.एस.)	27	0	27
31	3435.03.789.99.00.42 पर्यावरण के उन्नयन, संरक्षण तथा रोकथाम में गै स सं को सहायता (एस सी एस पी)	2	0	2
32	3435.60.789.99.00.42 वातावरण के सुधार तथा उन्नति में सोसायटी के कमज़ोर विभागों का सम्मिलन (एस सी एस पी)	1	0	1
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
33	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	500	0	500
34	2216.80.190.87 सभी के लिए आवास हेतु बी यू एस आई बी की स अ (पी एम ए वाई) (सी एस एस)	1	0	1
35	2217.80.191.04.95 क्षमतापूर्ण भवन तथा ए एण्ड ओ ई के लिए शहरी विकास विभाग (सी.एस.एस.)	35.50	0	35.50
36	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आई ई सी क्रियाकलापों के लिए शहरी विकास(सी.एस.एस.)	65	0	65
37	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	700	0	700
पूंजीगत-दत्तमत				
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
38	5452.01.800.82.00.42 दिल्ली हॉट पीतमपुरा का विकास (सी.एस.एस.)	10	0	10
कुल		3,519.61	0	3,519.61

परिशिष्ट-2.9

**वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.12 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		बजट	कुल व्यय	2015-16 की आखिरी तिमाही के दौरान किए गए व्यय	मार्च 2016 में किए गए व्यय		
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन								
1	222001001990026-विज्ञापन तथा प्रसारण	एन पी वी	100.00	59.90	59.21	98.85	54.88	91.62
अनुदान सं. 6: शिक्षा								
2	220300112510036-वेतन सहायता अनुदान	पी वी	32.00	32.00	27.75	86.72	19.25	60.16
3	420201600940042-स्कूल के भवनों के निर्माण की आउटसोर्सिंग	पी वी	410.00	400.40	257.20	64.24	205.29	51.27
4	620202105940055-इन्ड्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इ.सू.प्रौ.स.) दिल्ली को ऋण	पी वी	90.00	90.00	77.50	86.11	77.50	86.11
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
5	221100800950036- वेतन सहायता अनुदान	पी वी	20.00	20.00	12.50	62.50	12.50	62.50
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण								
6	204100800960031-सामान्य सहायता अनुदान	पी वी	36.11	36.27	22.45	61.90	22.40	61.76
7	223502789960004-विधवाओं को पेंशन (एस सी एस पी)	पी वी	18.00	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00
8	223502789990042-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धों की सहायता का विस्तार) (एस. सी. एस पी)	पी वी	60.00	60.00	60.00	100.00	60.00	100.00
9	345280104700042-पर्यटन अवसंरचना	पी वी	12.25	11.58	11.58	100.00	11.58	100.00
10	505500050880042-नए बस टर्मिनल के लिए भूमि की खरीद	पी वी	175.00	173.5	152.19	87.72	141.97	81.83
अनुदान सं. 10: विकास								
11	205300800730035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	23.00	22.99	22.99	100.00	22.99	100.00
12	205300800740035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
13	205300800670035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
14	205300800700035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
15	205300800710035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	23.00	24.69	24.69	100.00	24.69	100.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		बजट	कुल व्यय	2015-16 की आखिरी तिमाही के दौरान किए गए व्यय		मार्च 2016 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
16	205300800750035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.50	22.50	22.50	100.00	22.50	100.00
अनुदान सं. 11: शहरी विकास लोक निर्माण								
17	220201103989936-वेतन सहायता अनुदान	एन पी वी	25.85	25.85	18.92	73.19	18.92	73.19
18	220202191989936-वेतन सहायता अनुदान	एन पी वी	32.18	32.18	23.56	73.21	23.56	73.21
19	221501191710035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	28.50	28.50	18.00	63.16	18	63.16
20	221501191980031-सामान्य सहायता अनुदान	पी वी	134.00	134.00	111.50	83.21	111.50	83.21
21	221502191880035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	335.00	335.00	185.00	55.22	185.00	55.22
22	221502191890035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	191.00	190.07	190.07	100.00	190.07	100.00
23	221704191550035-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	पी वी	45.00	44.61	44.61	100.00	44.61	100.00
24	280105800850031-सामान्य सहायता अनुदान	एन पी वी	182.18	182.18	182.18	100.00	182.18	100.00
25	360400200840050- न दि न नि को दिए गए बेसिक कर	एन पी वी	30.10	30.10	22.03	73.20	22.03	73.20
26	405960051809042-न्यायपालिका के लिए अवसरचनात्मक सुविधाएं (सी.एस.एस.)	पी वी	60.41	44.37	30.55	68.86	30.55	68.86
27	420201789980053- विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एस सी एस पी)	पी वी	100.00	48.24	33.44	69.33	31.02	64.30
28	421760050950042-अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	पी वी	189.40	179.53	107.31	59.77	100.12	55.77
29	480105800910042-भूमि की खरीद	पी वी	14.00	13.97	13.97	100.00	13.97	100.00
30	621501191810055-चन्द्रावल डब्ल्यू टी पी के लिए दि ज बो को ऋण	पी वी	25.00	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00
31	621502191860055-जे एन एन यू आर एम परियोजना के लिए दि ज बो को ऋण	पी वी	180.00	180.00	148.75	82.64	148.75	82.64
32	680100190930055-आई पी जी सी एल/पी पी सी एल को ऋण	एन पी वी	250.00	250.00	250.00	100.00	250.00	100.00
33	680100190940055-दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को ऋण	पी वी	201.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00
34	680100203910055-प्रगति पॉवर परियोजना-III बवाना को ऋण	पी वी	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
कुल			3,131.48	2,994.42	2,452.46		2,367.84	

परिशिष्ट-2.10
बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई तथा समाप्त हो गई
(पैराग्राफ 2.5 (ii) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुभाग	बचतों की राशि	अभ्यर्पित बचतों की राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचतों की राशि
1	2013-14	राजस्व दत्तमत	454.47	234.34	220.13
2	2013-14	राजस्व प्रभारित	1.35	1.09	0.26
3	2013-14	पूँजीगत दत्तमत	145.01	88.24	56.77
			600.83	323.67	277.16
4	2014-15	राजस्व दत्तमत	579.22	280.75	298.47
5	2014-15	राजस्व प्रभारित	0.16	शून्य	0.16
6	2014-15	पूँजीगत दत्तमत	185.56	138.70	46.86
			764.94	419.45	345.49
7	2015-16	राजस्व दत्तमत	1131.84	850.18	281.66
8	2015-16	राजस्व प्रभारित	0.22	0.18	0.04
9	2015-16	पूँजीगत दत्तमत	186.74	166.89	19.85
			1,318.80	1,017.25	301.55
कुल			2,684.57	1,760.37	924.20

परिशिष्ट-2.11
अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत
(पैराग्राफ 2.5 (vii)) को देखें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष	मूल+अनुपूरक+पुनर्विनियोजन	व्यय	बचतें	कारण
2013-14					
1	2202 ए 1(2)(6)(1) (प्रभारित)	0.135	शून्य	0.135	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी मामलों के गैर-अंतिमकरण तथा बिलों के गैर-निपटान के कारण हुई थीं।
2	2202 ए 1(2)(8)(1) (प्रभारित)	0.0125	शून्य	0.0125	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी मामलों के गैर-अंतिमकरण तथा बिलों के गैर-निपटान के कारण हुई थीं।
3	2202 ए 1(2)(8)(21)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
4	2202 ए 1(2)(8)(29)	0.01	शून्य	0.01	बचतें मुख्यतः परियोजना को अंतिम रूप न देने के कारण हुई थीं।
5	2202 ए 1(2)(8)(31)	0.60	शून्य	0.60	बचतें मुख्यतः बिडस की अपलोडिंग की असफलता के कारण थीं।
6	2202 ए 1(2)(8)(32)	10.00	शून्य	10.00	बचतें मुख्यतः टी सी आई एल के साथ निविदा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा न किए जाए के कारण मुख्य तौर पर हुई थीं।
7	2203 बी 1(5)(18)	0.33	शून्य	0.33	बचतें मुख्यतः परियोजना क्रियान्वित नहीं होने, राशि की अदायगी नहीं करने इसलिए निधियों के जारी नहीं होने के कारण हुई थीं।
8	2203 बी 1(5)(21)	0.12	शून्य	0.12	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
9	2203 बी 1(5)(22)	0.04	शून्य	0.04	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
10	2230 बी2(1)(2)(3)	0.01	शून्य	0.01	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
11	2230 बी 2(1)(3)(1)(2)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
12	2205 एफ 2(1)(21)	1.00	शून्य	1.00	अनुदान की गैर-प्राप्ति के कारण सभी प्रावधान पूर्णरूप से अनुपयोगी पड़े रहे।
13	2202 जे 1(1)(1)(3)	0.20	शून्य	0.20	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
14	6202 बीबी 2(1)(1)(1)	10.00	शून्य	10.00	बचतें मुख्यतः आई आई आई टी के पास प्रर्याप्त निधियां पहले से ही उपलब्ध होने, सक्षम अधिकारी द्वारा नई निधि का अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण थीं।
15	4202 जी जी 1(1)(1)(2)	0.05	शून्य	0.05	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
16	4202 जी जी 1(1)(1)(4)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
17	4202 जे जे 1(1)(1)(2)	0.10	शून्य	0.10	बचतें मुख्यतः प्रस्तावों के अंतिम रूप न देने के कारण थीं।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

2014-15					
18	2202 ए 1(2)(7)(18)	0.35	शून्य	0.35	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
19	2202 ए 1(2)(7)(25)	0.60	शून्य	0.60	बचतें मुख्यतः बिड़स के अंतिमकरण न किए जाने के कारण हुई थीं।
20	2202 ए 1(2)(7)(26)	10.50	शून्य	10.50	बचतें मुख्यतः निविदा प्रक्रिया को क्रियान्वित न किए जाने के कारण हुई थीं।
21	2202 ए 1(2)(7)(28)	0.20	शून्य	0.20	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
22	2203 बी 1(4)(3)	0.13	शून्य	0.13	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
23	2203 बी 1(5)(10)	1.00	शून्य	1.00	बचतें मुख्यतः परियोजना को क्रियान्वित न किए जाने के कारण हुई थीं।
24	2230 बी 2(1)(3)(5)	10.17	शून्य	10.17	बचतें मुख्यतः प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई थीं।
25	2230 बी 2(1)(5)(3)	0.1094	शून्य	0.1094	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
26	2230 बी 2(1)(5)(4)	0.05	शून्य	0.05	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
27	6202 बीबी 2(1)(1)(1)	25.00	शून्य	25.00	बचतें मुख्यतः ऋण राशि की विलम्ब से मंजूरी तथा उनका आई आई टी में स्थानान्तरित नहीं किये जाने के कारण थीं।
2015-16					
28	2202 02 800 32 00 42	0.60	शून्य	0.60	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
29	2203 00 112 48	1.00	शून्य	1.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
30	2203 00 112 47	0.40	शून्य	0.40	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
31	2202 03 001 00 00 27	3.00	शून्य	3.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
32	2202 03 800 87 95 42	0.40	शून्य	0.40	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
33	4202 03 800 98 00 42	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
34	4202 02 105 83	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
35	4202 02 105 88	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
36	4202 02 105 87	0.06	शून्य	0.06	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
कुल		76.7769	शून्य	76.7769	

परिशिष्ट 3.1
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र. सं.	निकायों / प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पू.ले.प.प्र.) जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुत की गई पू.ले.प.प्र.	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए सौंपा जाना प्रतीक्षित है।	2013-14	2013-14	विधायिका में पेश नहीं की गई	-	-
2.	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सिं.इ.वि.वि.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2012-13	2011-12	1999-2003	2013-14 तथा 2014-15	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2009-10	2007-08	2003-2004	2010-11 से 2014-15	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.आ.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2014-15	2014-15 (03.12.2015)	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2010-11	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1

